



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 27, 2016/कार्तिक 5, 1938

No. 389]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 27, 2016/KARTIKA 5, 1938

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2016

एफ.सं.1/2008/आयात संरक्षा/एफएसएसएआई.—खाद्य संरक्षा और मानक (खाद्य आयात) विनियम, 2016, जिसमें भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, निम्न प्रारूप बनाने का प्रस्ताव करता है, खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी और सूचना देते हैं कि उक्त प्रारूप विनियम पर इसी अधिसूचना सहित सरकारी राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पहले, विचार किया जाएगा;

आपत्तियां अथवा सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषध प्रशासन, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं;

आपत्तियां और सुझाव, जो किसी भी व्यक्ति से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त किए जाएंगे, उपरोक्त निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य आयात) विनियम, 2016

अध्याय - I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम 2016 है
2. परिभाषाएं.—(1) इन विनियमों में जब तक की संदर्भ की अन्यथा अपेक्षित न हों:-

- क) "अधिनियम" से अभिप्राय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम 34) है;
- ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 25 के आधीन कार्य प्रदर्शन करने के लिए किसी आदेश से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है;
- ग) "शेष शेल्फ जीवन" से अभिप्रेत आयात की तिथि (आयात साधारण प्रकट-आईजीएम) से "से पहले" या "समाप्ति की तिथि" यथा स्थिति के बीच की अवधि से है;
- घ) "बिल ऑफ इंट्री" से अभिप्रेत सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 (1962 का 52) के उपबंधों के अंतर्गत आयातक द्वारा दायर बिल ऑफ इंट्री से है;
- ङ) "सीमा शुल्क हवाई अड्डे" से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खंड (क) के अधीन नियत किया गया हवाई अड्डे अभिप्रेत है;
- च) "सीमा शुल्क क्षेत्र" से अभिप्रेत एक सीमा शुल्क स्टेशन क्षेत्र से है और इसमें कोई भी ऐसा क्षेत्र सम्मिलित है जिसमें आयातित माल या निर्यात माल आमतौर पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निकासी से पहले रखा जाता है;
- छ) "सीमा शुल्क हाउस एजेंट" से अभिप्रेत उस व्यक्ति से है जिसे सीमा शुल्क हाउस एजेंट नियमन, 2004 की धारा 2 के खंड (ग) के अधीन परिभाषित किया गया है;
- ज) "सीमा शुल्क पत्तन" से अभिप्रेत किसी भी ऐसे पत्तन से है जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 के खंड (a) (1962 का 52) के अंतर्गत नियुक्त है और उसमें एक अंतः स्थलीय कंटेनर डिपो होने के लिए उस धारा के खंड (क क) के अंतर्गत नियुक्त जगह सम्मिलित है;
- झ) "फीस" से अभिप्रेत खाद्य सुरक्षा पारेषण में आयातित की निकासी के लिए खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रभार से है;
- ञ) "खाद्य विश्लेषक" से अभिप्रेत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 45 के आधीन नियुक्त खाद्य नमूना विश्लेषण करने के लिए एक व्यक्ति है;
- ट) "खाद्य आयातक" से अभिप्रेत एक खाद्य व्यापार परिचालक है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में खाद्य वस्तुओं का आयात कर रहा है, जिसके पास सम्यक खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार की अनुज्ञप्तिकरण और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 अधिनियम के अधीन अधिसूचित के अधीन आयातक के रूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त है;
- ठ) "आयात" से अभिप्रेत भारत में भूमि, समुद्र या हवा के द्वारा किसी भी खाद्य पदार्थ को लाना है;
- ड) "गैर-अनुरूपता रिपोर्ट" से अभिप्रेत उस रिपोर्ट से है जिसे प्राधिकृत अधिकारी या खाद्य प्राधिकरण द्वारा विशेषकर इस कार्य के लिए अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा सीमा शुल्क अधिकारियों और खाद्य आयातकों को इस अधिनियम के उपबंधों और खाद्य आयातकों के कंसाईन्मेंट के अंतर्गत नियमों के गैर अनुपालन के कारण बनाया जाता है;
- ढ) 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' से अभिप्रेत उस प्रमाण पत्र से है जिसे सीमा शुल्क अधिकारियों और खाद्य आयातकों को अधिकृत अधिकारी या किसी या इस प्रयोज्य के लिए अधिकृत किसी अन्य अधिकारी

द्वारा इस अधिनियम के अनुपालन के साथ और खाद्य आयातक के कंसाईन्मेंट के अंतर्गत बनाए जाते हैं;

- ण) "पैकिंग सूची" से अभिप्रेत खाद्य पदार्थों की उस सूची से है जो आयातित खाद्य पदार्थ के विवरण, मात्रा और वजन को बताती है;
- त) "पूर्व आगमन दस्तावेज जांच" खाद्य आयातक द्वारा सीमा शुल्क पत्तन पर आयातित खाद्य की तेजी से निकासी की सुविधा के लिए खाद्य पदार्थों के वास्तविक आने से पहले, अग्रिम में प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने के लिए संदर्भित करता है;
- थ) "निषिद्ध खाद्य" से अभिप्रेत है जो समय समय पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा घोषित और खाद्य प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित खाद्य विवरण,
- द) "निषिद्ध स्रोत" का अभिप्राय है विशेष स्थान जिसके लिए खाद्य प्राधिकरण ने अपनी वेबसाइट पर खाद्य के आयात के लिए सशर्त या पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है;
- ध) "पुनरवलोकन आवेदन शुल्क" से अभिप्रेत है खाद्य पदार्थों के आयात की स्वीकृति के लिए प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के खिलाफ खाद्य आयातक द्वारा प्रस्तुत पुनरवलोकन आवेदन के निस्तारण की दिशा में प्राधिकरण द्वारा लगाया गया शुल्क है,
- न) "पुनरवलोकन अधिकारी" से अभिप्रेत है मुख्य कार्यकारी अधिकारी या खाद्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अधिकृत प्राधिकृत अधिकारी से है जो प्राधिकृत अधिकारी के आदेशों की जांच करेगा और ऐसा पुनरवलोकन अधिकारी सीमा शुल्क पोर्ट पर किसी भी आयात की सम्बन्ध में पारित आदेश की पुनरवलोकन करेगा अगर खाद्य आयातक ऐसे किसी भी समीक्षायोग्य आदेश के संबंध में खाद्य आयातक से संपर्क करता है
- त्त) "आधारित यादृच्छिक नमूना जोखिम" से अभिप्रेत है पहचाने गए जोखिम मानदंड और आयातक के अनुपालन इतिहास पर आधारित ड्राइंग की गतिविधि,
- प) "शेल्फ जीवन" से अभिप्रेत है निर्माण की तारीख और "से पहले सबसे अच्छा" या जो भी पहले हो के रूप में लेबल पर मुद्रित "समाप्ति की तिथि" के बीच की अवधि,
- फ) "सुगम व्यापार के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस" से से अभिप्रेत है आयात निकासी के लिए आयातक को/सीमा शुल्क हाउस एजेंट को सीमा शुल्क द्वारा प्रदान की एकल खिड़की प्रणाली के प्रावधान:
- ब) "भराई सूची" से अभिप्रेत है खाद्य वस्तुओं की सूची या कंटेनर या कार्टन या पैलेट या स्किड के अन्दर उसके वास्तविक रूप से की गयी व्यवस्था है
- भ) "पारगमन देश सूची" से अभिप्रेत है देशों की वह सूची है जिसके माध्यम से यह पहले आयातित खाद्य पारगमन भारतीय सीमा तक पहुँच जाता है,
- म) "लावारिस खाद्य" से अभिप्रेत है एक आयातित खाद्य परेषण जिसका कोई दावा या बिल ऑफ एंट्री या दोनों ही न होना
- य) "बिना दावाकृत अनक्लियर्ड खाद्य" से अभिप्रेत है उस आयातित खाद्य परेषण से है जिसकी डिलीवरी को आयातक के द्वारा खाद्य प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र में निर्धारित समय के भीतर नहीं लिया जाता है,

- र) "दृश्य निरीक्षण" से अभिप्रेत है वह निरीक्षण की प्रक्रिया है जो प्राधिकृत अधिकारी या उस अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त के उस उद्देश्य के लिए की जाती है जो खाद्य परेषण की शारीरिक स्थिति, दस्तावेज और पैकेजिंग और लेबलिंग नियमों के अनुपालन की जांच करती है जैसा नमूना लेने से पहले खाद्य सुरक्षा अनुपालन के द्वारा हासिल किए गए होते हैं।
- (2) उन शब्दों और पदों के , जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन नियमों और विनियमों विलिखित किये गए हैं।

अध्याय -2

खाद्य आयातक/खाद्य व्यापार प्रचालक के अनुज्ञप्ति देना

3. (1) कोई भी व्यक्ति खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार की अनुज्ञप्तिकरण और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय अनुज्ञापन प्राधिकरण से एक आयात अनुज्ञप्ति के बिना कोई भी खाद्य आयात नहीं करेगा।
- (2) कोई खाद्य लेख सीमा शुल्क से तब तक मंजूरी नहीं दी जाएगी जब तक इसमें सीमा शुल्क से इसकी मंजूरी के समय में साठ फीसदी तक शैल्फ जीवन न हो।
- (3) उपनियम (1) और (2) के प्रयोजन के लिए खाद्य के आयात के लिए खाद्य व्यापार प्रचालक अनुज्ञप्ति के अलावा, खाद्य आयातक खुद भी विदेश व्यापार महानिदेशालय के साथ पंजीकृत होगा और उसके पास पंजीकृत और वैध आयात निर्यात कोड होगा।
4. **निलंबन या अनुज्ञप्ति रद्द - (1)** इन नियमों के उपबंध निलंबन और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार की अनुज्ञप्तिकरण और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के अलावा उसके रद्द करने एवं निलंबित करने सहित अनुज्ञप्ति की शर्तों को विनियमित करने के लिए लागू होंगे।
- (2) विनियम 3 में अन्तःविष्ट किसी बात होते हुए , अनुज्ञप्ति प्राधिकरण खाद्य आयात अनुज्ञप्ति लागू नियमों के अधीन दिए गए खाद्य आयात अनुज्ञप्ति को निरस्त कर सकता है, यदि कोई मनोनीत अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को यह विश्वास होता है कि:-
- (क) कि यह विश्वास के लिए पर्याप्त आधार है कि खाद्य आयातक ने री-चैनलिंग और फिर से पैकिंग सहित निषिद्ध स्रोतों, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से असुरक्षित खाद्य, निषिद्ध खाद्य या खाद्य आयात करने का प्रयास किया गया है;
- (ख) खाद्य आयातक अनुज्ञप्ति, इन विनियमों, या उपक्रम के वांछित प्रयोग की शर्तों का पालन विफल रहता है।
- (3) खाद्य आयातक केंद्रीय अनुज्ञप्ति प्राधिकरण को और किसी भी प्राधिकृत अधिकारी को निलंबन, निरसन या विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा आयातक-निर्यातक कोड के पक्ष में जारी प्रमाण पत्र को रद्द करने के बारे में चौबीस घंटे के भीतर सूचित करेगा जो निलंबन, निरसन या रद्द करने की इस तरह के आदेश की तारीख के बाद तीन दिन से अधिक कार्य दिवस से ज्यादा नहीं होगा।
- (4) जब विदेश व्यापार के महानिदेशक द्वारा दिया गया निर्यातक कोड निलंबित कर दिया है, तब आयात अनुज्ञप्ति खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार की अनुज्ञप्तिकरण और रजिस्ट्रीकरण) विनियम 2011के अधीन दिया गया आयातक-निर्यातक प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया समझा जाएगा ।

- (5) कोई भी अनुज्ञप्ति है जिसे विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा दिए गए आयातक-निर्यातक कोड के निलंबन, निरसन या रद्द करने के परिणामस्वरूप अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया है उस पर सैट दिनों के अन्दर विचार किया जा सकता है और आयातक को अनुज्ञप्तिदिया जा सकता है अगर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा आयातक-निर्यातक कोड के आयातक प्रमाणपत्र के निलंबन, निरसन या रद्द करने को वापस ले लिया जाता है या अलग से सेट कर दिया जाता है या विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा कथित आयातक के लिए नया आयातक निर्यातक कोड जारी किया जाता है।

अध्याय - 3

खाद्य प्राधिकरण द्वारा आयातित खाद्य की निकासी

5. (1) हवाई अड्डे पर खाद्य परेषण के आगमन पर, आयातक या सीमा शुल्क एजेंट सुगम व्यापार के लिए सीमा शुल्क एकल खिड़की एकता में एक एकीकृत घोषणा पत्र दायर करेगा।
- (2) खाद्य आयात निकासी प्रणाली को सुगम व्यापार के लिए एकल खिड़की एकता से अग्रेषित आवेदनों को निम्नलिखित तरीके से संसाधित किया जाएगा, अर्थात्: -
- (क) प्राधिकृत अधिकारी आवेदन पत्रों की समीक्षा करेंगे और स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं, यदि आवश्यक हो;
- (ख) समाधानप्रद समीक्षा पर, आवेदक को फीस के रूप में दस्तावेज, दृश्य निरीक्षण और नमूने के ड्राइंग की जांच के लिए खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट भुगतान करना होगा;
- (ग) जहां खाद्य वस्तुओं के कंसाइन्मेंट खाद्य वस्तुओं की कई श्रेणियों से मिलकर एकल बिल ऑफ एंट्री बने हैं, उसमें निरीक्षण शुल्क प्रत्येक खाद्य वस्तु के बैच अनुसार निरीक्षण के लिए लागू होगा;
- (घ) खाद्य प्राधिकरण निर्दिष्ट और समय-समय पर निरीक्षण शुल्क की समीक्षा करेगा;
- (ई) फीस की रसीद पर, प्राधिकृत अधिकारी निरीक्षण की जगह और समय पर खाद्य आयातक या अपने सीमा शुल्क हाउस एजेंट की उपस्थिति की सुविधा के लिए तिथि और खाद्य आयातक के निरीक्षण के समय के विवरण की सूचना देगा।
- (3) आवेदक भाग लेने और दृश्य निरीक्षण की सुविधा के लिए, नमूने के ड्राइंग में सहायता नियत समय पर सीमा शुल्क क्षेत्र में उपस्थित रहेंगे, यदि आवश्यक हो, आयात निकासी की कार्यवाही के रूप में प्राधिकृत अधिकारी या उनके प्रतिनिधि और गवाह कार्यवाही द्वारा निर्देश में प्राधिकृत अधिकारी या उनके प्रतिनिधि और से नमूने की सीलिंग में मदद करेंगे और सील किए गए नमूनों पर अपने हस्ताक्षर करेंगे।
- (4) खाद्य आयातक प्रति भराई सूची के अनुसार परेषण से दृश्य निरीक्षण और नमूने को एकत्र करेगा।
- (5) प्राधिकृत अधिकारी कंटेनर को पुनः भरने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को एक आदेश जारी करेगा और जरूरी होने पर कंटेनर को दोबारा भरने में मदद करेगा।
- (6) यदि खाद्य आयातक या उसका सीमा शुल्क हाउस एजेंट निरीक्षण को करने के लिए और नमूना के लिए दो अवसरों के बावजूद उपस्थित नहीं है तो प्राधिकृत अधिकारी निरीक्षण और खाद्य परेषण का नमूना लेने के लिए आगे अवसर देने के लिए इंकार कर सकते हैं:
- परन्तु कि इस संबंध में किसी भी अवसर को आगे समय समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है खाद्य आयातक पर उपयुक्त दंड लगाने के बाद मुख्य कार्यपलक अधिकारी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा यह अवसर दिया जा सकता है।
- (8) दृश्य निरीक्षण की रिपोर्ट को प्रारूप -1 में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

6. पैकेजिंग और लेबलिंग के नियमों के लिए मानकों का अनुपालन -

- (1) कोई भी खाद्य आयातक उस खाद्य पदार्थ को आयात नहीं करेगा जिस तापमान और स्वच्छता की इष्टतम भंडारण की स्थिति में भंडारित नहीं किया जाता या ले जाया नहीं जाता, उस समय पर उस खास खाद्य के लिए लागू नियमों के अनुसार पैक या लेबल नहीं किया जाता।
- (2) भारत में आयात होने वाले हर खाद्य परेषण को इस तरीके से पैक किया जाना चाहिए कि यह कंसाईन्मेंट से नमूनों का निरीक्षण और संग्रहण सुकर करेगा।
- (3) कई खाद्य पदार्थ या खाद्य का कोई परेषण जो एक कंटेनर या गत्ते का डिब्बा या फूस या स्किड में पैक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं इस तरीके से पैक किया जाएगा कि प्राधिकृत अधिकारी उनका निरीक्षण और नमूना आसानी से ले सके।
- (4) एक उचित भराई सूची के अभाव में, प्राधिकृत अधिकारी कंटेनर को दोबारा भरने के लिए एक आदेश जारी करेगा और दोबारा भरने सुविधा के लिए निरीक्षण और नमूने की सुविधा के लिए सीमा शुल्क अधिकारी को निर्देशित करेगा।
- (5) आयातित खाद्य परेषण के मामले में, लेबलिंग पर निम्नलिखित विशेष छूट, अर्थात् के साथ पालन किया जाएगा: -
 - (क) नाम और आयातक का पता; और
 - (ख) खाद्य सुरक्षा और भारत लोगो और अनुज्ञप्तिनंबर, मांसाहारी या शाकाहारी लोगो के मानक प्राधिकरण आयातक/ सीमा शुल्क हाउस एजेंट द्वारा चिपका दी जाएगी जैसा सीमा शुल्क बंध वेयर हाउस में आयातित खाद्य परेषण के आगमन पर सुधार योग्य लेबलिंग की कमी पाई जाती है।
 - (ग) किसी भी कमी सिद्धांत डिस्प्ले पैनल के बगल में एक भी गैर वियोज्य स्टीकर चिपकाकर द्वारा या किसी भी अन्य गैर वियोज्य पद्धति द्वारा सुधारा जा सकता है। लेबल में कोई अन्य की कमी को सुधारने के लिए अनुमति दी है।
- (6) सुधारयोग्य लेबलिंग की कमी के संबंध में उप में निर्दिष्ट - विनियमन (5), प्राधिकृत अधिकारी अनुज्ञेय लेबलिंग सुधार करने के लिए एक आदेश खाद्य आयातक या उनके अधिकृत एजेंट को पारित कर सकता है, सीमा शुल्क क्षेत्र में दिए गए समय या किसी भी तरीके से वास्तविक लेबल सूचना को निर्धारित समय में बिना फेरबदल या किसी भी रूप में मूल लेबल जानकारी छद्म आवरण के।
- (7) खाद्य आयातक द्वारा परिहार पर, प्राधिकृत अधिकारी खाद्य की एक फिर से निरीक्षण करेगा और संतुष्ट होने पर नमूना लेगा, यह खाद्य आयातक द्वारा अन्य शर्तों को पूरा करने का विषय है।
- (8) अगर खाद्य आयातक उप विनियमन (5 में निर्दिष्ट अनुज्ञेय त्रुटी को दूर करने के लिए विफल रहता है तो निर्धारित समय के भीतर, प्राधिकृत अधिकारी ऐसे आयातित खाद्य को मंजूरी देने के आदेश से इनकार कर सकता है और एक गैर अनुरूपता रिपोर्ट जारी कर सकता है।
- (9) यदि प्राधिकृत अधिकारी संतुष्ट है कि खाद्य आयातक ने विनियम 6 के उपबंधों का पालन किया है, तो प्राधिकृत अधिकारी या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में खाद्य आयातक या उसके सीमा शुल्क हाउस एजेंट की उपस्थिति में नमूनों की जांच के लिए सीमा शुल्क क्षेत्र में आयातित खाद्य से खाना नमूना के दो भागों को आकर्षित करेगा।
- (10) अगर खाद्य विश्लेषक नमूना की प्राप्ति के बाद किसी भी अन्य मानकों पर अतिरिक्त जानकारी पर या घटकों पर अधिक जानकारी चाहता है तो प्राधिकृत अधिकारी खाद्य आयातक को इस तरह की जानकारी विधिवत दस्तावेजी सबूत द्वारा उपलब्ध कराने के लिए कहेगा।

- (11) लेबलिंग और पैकेजिंग विनियमन 2011 के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले परेषण को दृश्य निरीक्षण पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा और कोई कोई नमूना नहीं लिया जाएगा

अध्याय -4

विनिर्दिष्ट प्रयोज्यों के लिए खाद्य आयात निकासी

7. (1) सीमा शुल्क द्वारा अनुमति यह विनियमन ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो वह अपने निजी उपयोग के लिए ला रहा है बशर्ते ऐसे किसी भी खाद्य वस्तु की कीमत सीमा शुल्क द्वारा अनुमत कीमत से अधिक नहीं होगी।
- (2) व्यक्तिक उपभोग के लिए आयातित खाद्य ले जाने के व्यक्ति सुगम व्यापार के लिए एकल खिड़की समेकन में घोषणा प्रस्तुत करेगा।
- (3) जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो सीमा शुल्क अधिकारी खाद्य प्राधिकरण को आयातित खाद्य के निकासी के लिए नहीं कह सकता है जब तक ऐसा खाद्य पदार्थ निम्न के लिए न हो: -
- (क) वर्तमान सरकार के निर्देश के अनुसार निर्यात और निर्यात को अस्वीकार कर दिया या फिर आयातित खाद्य फिर से निर्यात हो रहा है;
- (ख) खाद्य वस्तुओं या सामग्री या संघटक जो निर्माताओं या सौ फीसदी निर्यात अपने लिए या अपने कैप्टिव उपयोग या मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रसंस्कर द्वारा आयातित किया जा रहा है; या खाद्य वस्तुओं या सामग्री या संघटक उनकी सहायक कम्पनियों के द्वारा आयात किया जा रहा है या पूरी तरह सहायक कम्पनियों के द्वारा पूरी तरह निर्यात के ली इस्तेमाल किया जा रहा है बशर्ते दो संस्थाओं के बीच ऐसा समझौता हो चुका हो;
- स्पष्टिकरण-** अगर आयातक खपत या आयातित उत्पाद के अंतिम उपयोग के सम्बन्ध में प्रविष्टि के बिल दाखिल करने के समय पर सीमा शुल्क विभाग के लिए व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एकल खिड़की एकीकरण में घोषित करता है, यह घोषणा करते हुए कि आयातित खाद्य पदार्थ को सौ प्रतिशत निर्यात के लिए या दोबारा से निर्यात के लिए प्रयोग किया गया है और इसके किसी भी भाग की आपूर्ति घरेलू खपत के लिए नहीं की जाएगी।
- (ग) विनियमन 3 उप खंड (ख) के अधीन सुविधा व्यापारिक संस्थाओं के लिए लागू नहीं होगी जो ऐसी वस्तुओं के अंतिम उपयोग की क्षमता के साथ सम्बन्धित समस्याओं की दृष्टि में उनके खपत उपयोग के लिए ऐसी वस्तुओं का आयात नहीं करते हैं;
- (4) खाद्य आयात की मंजूरी कांसुलर संबंध, 1963 (कांसुलर संबंध, 1963 को वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 50) पर वियना कन्वेंशन के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
- (5) अनुसंधान और विकास के प्रयोजनों के लिए खाद्य आयात की मंजूरी के अधीन अनुमति दी जाएगी: -
- (क) एक अनुज्ञप्ति खाद्य आयातक द्वारा किए जा रहे आयात;
- (ख) खाद्य आयातक और खाद्य आयातक अभिकरण के द्वारा व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एकल खिड़की एकीकरण में घोषणा इस प्रभाव के लिए कि आयातित खाद्य केवल उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा;
- (ग) घरेलू बाजार में जारी या परीक्षण विपणन या बाजार अनुसंधान प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया।
- (6) वहाँ प्रदर्शनी के प्रयोजन के लिए, अर्थात् के लिए आयातित खाद्य की निकासी के लिए प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, अर्थात् अर्थात् :

- (क) प्रदर्शक, आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा, यदि कोई हो, सीमा शुल्क द्वारा निर्दिष्ट और प्रदर्शक सुगम व्यापार के लिए एकल खिड़की एकता में घोषित करेगा;
- (ख) अगर खाद्य को 'चखने' के लिए प्रस्तावित है तो आयातक प्रदर्शक या संस्था संस्था भी मूल देश के खाद्य नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए खाद्य सुरक्षा प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा;
- (ग) खाद्य उत्पाद जो विदेश व्यापार महानिदेशालय के आयात के लिए निषिद्ध मदों की सूची में शामिल है या समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं उन्हें प्रदर्शनी या चखने प्रयोजनों के लिए आयात करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी;
- (घ) प्रदर्शनी के लिए सभी उत्पाद में एक अतिरिक्त गैर-वियोज्य लेबल या स्टीकर यह बताते हुए होगा कि उत्पाद: "प्रदर्शनी उद्देश्य के लिए ही" और " बिक्री के लिए नहीं हैं";
- (ङ) आयात इकाई, सीमा शुल्क बंधुआ गोदाम में इस तरह के अतिरिक्त लेबल प्रत्यय करने के लिए अनुमति नहीं देती है अगर पहले से सहवद्ध नहीं है तोः;
- (च) आयात प्रदर्शक निम्न सामग्री के बिलों को रखेगा: -
- (i) प्रदर्शनी के लिए आयातित वस्तुओं का बिल
 - (ii) चखने के लिए या नष्ट किए जाने के लिए मद
 - (iii) प्रदर्शनी / मेला / घटना के अंत में मूल देश के लिए फिर से निर्यात के लिए वस्तु और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांग पर इस तरह के विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;
- (7) प्रदर्शनी के स्थान पर एक प्रतिदर्श खाद्य पदार्थों बताते हुए 'केवल चखने के लिए' प्रदर्शित किया जाएगा।
- (8) खाद्य उत्पादों का बिना उपयोग किया गया भाग जिन्हें चखने के लिए खोला है प्रक्रिया के अनुसार खाद्य आयातक द्वारा प्रदर्शनी के बाद नष्ट कर दिया जाएगा।
- (9) इसलिए बंद और उपयोग न किए जाने वाले खाद्य उत्पाद को सुरक्षित रूप से पैक हालत में सूचना के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को खाद्य आयातक द्वारा फिर से निर्यात किया जाएगा।
- (10) खाद्य प्राधिकरण एक विदेशी देश से खाद्य आयात की मंजूरी दे सकता है अगर विशेष रूप से इस तरह के निर्यात देश के खिलाड़ियों द्वारा खपत के लिए है।
- (11) इस तरह के मामलों में आयातित खाद्य पदार्थों की मात्रा ऐसे व्यक्तियों के लिए जो खपत उपयोग के लिए या खपत के लिए उस देश में उनके आवास या घटनाके लिए ऐसी निर्यात से अधिक न हो, और बचे हुए खाद्य पदार्थ को मूल देश में प्राधिकृत अधिकारी को सूचना देते हुए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य द्वारा प्राधिकृत मूल के अपने देश में भेजा जा सकता है।
- (12) आयातक आयातित खाद्य परेषण की मंजूरी के लिए व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एकल खिड़की एकीकरण में घोषणा प्रस्तुत करेगा।
- (13) इन नियमों में किसी भी प्रकार के उल्लंघन की घटना में, खाद्य आयातक या किसी भी व्यक्ति या संस्था को हर रियायत या सुविधाओं से वंचित किया जाएगा, जो भविष्य में तय की जाएंगी और ये परिणामों के अलावा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुपालन में होगा।

- (14) जहां कोई भी खाद्य पदार्थ देश के किसी भी हिस्से में किसी भी आपदा या आपात स्थितियों के मामले में अन्य देशों से मुफ्त प्राप्त होता है, आयातित खाद्य की गुणवत्ता और सुरक्षा को दाता देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए या सुरक्षा प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

अध्याय - 5

आयातित खाद्य का भंडारण, निरीक्षण और सैम्पलिंग

8. **खाद्य आयात के लिए भंडारण की सुविधा - (1)** किसी भी खाद्य पदार्थ को इस तरीके से भंडारित नहीं किया जाएगा कि एक परेषण के पदार्थ अन्य खाद्य वस्तुओं के संपर्क में आए।
- (2) आयातित खाद्य वस्तुओं, को सख्ती से निकासी से पहले सीमा शुल्क गोदाम में निर्दिष्ट भंडारण की स्थिति के अनुसार संग्रहीत किया जाएगा, जिसके विफल होने पर संबंधित प्राधिकृत अधिकारी खाद्य खपत का आयात निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए मना कर सकते हैं/
9. **खाद्य आयात के लिए भंडारण सुविधाएं - (1)** पत्तन के अधिकारी और माल भाड़ा स्टेशनों के संरक्षक पर्याप्त और अनुकूल भंडारण बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करेंगे जिससे सीमा शुल्क क्षेत्र में आयातित खाद्य परेषण के तब तक सुरक्षित रह सके जब तक सीमा शुल्क अधिकारियों के द्वारा आयातित खाद्य वस्तुओं को अनुमति नहीं दे दी जाती।
- (2) आयातित खाद्य वस्तुओं के मामले में जिन्हें विशेष भंडारण हालत की आवश्यकता होती है, प्राधिकृत अधिकारी खपत के लिए आवश्यक सच भंडारण की स्थिति को सत्यापित करेगा।
- (3) प्राधिकृत अधिकारी एयर कार्गो प्रचालक या संरक्षक पत्तन या हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क बंधुआ क्षेत्र में वांछित विशेष भंडारण सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध से इस बात की पुष्टि करेगा।
- (4) भंडारण सुविधा की गैर-उपलब्धता के मामले में सीमा शुल्क विभाग से प्राधिकृत अधिकारी सीमा शुल्क विभाग से आयातक के वेयरहाउस को सीमा शुल्क के बंधुआ क्षेत्र के रूप में माने जाने की पुष्टि करेगा और उस बारे में आवेदक इसे व्यापार को सुगम बनाने एकल विंडो एकीकरण में घोषित करेंगे जिसे स्वीकृत किए जाने पर अधिकृत अधिकारी आयातकों के लिए प्रेषण को एक सुसज्जित भंडारण स्थान पर ले जाने के लिए अनुमत करेगा।
- (5) किसी भी स्थिति का पालन न करने के मामले में, आयातक भविष्य में किसी भी सुविधा का लाभ उठाने के पात्र और भी प्रचलित विधि, नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुसार अन्य उचित कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (6) प्राधिकृत अधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र मानकों के अनुरूप विश्लेषण रिपोर्ट के बाद जारी करेगा।
- (7) आयातक या सीमा शुल्क केवल अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर मंजूरी के बाद बिक्री सुनिश्चित करेगा।
- (8) खाद्य प्राधिकरण समय-समय पर खाद्य आयात के साथ जुड़े जोखिम की पुनरवलोकन कर सकता है और तदनुसार, निर्यात करने वाले देश के सुरक्षा रिकॉर्ड, निर्यातक, आयातक और आयातित उत्पाद और अन्य सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए खाद्य उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों के आयात के लिए नमूना आवृत्ति को ध्यान में रखा जाएगा।
- (9) प्राधिकृत अधिकारी या उसका प्रतिनिधि लेबलिंग और पैकेजिंग विनियमन, 2011 के साथ और निम्नलिखित तरीके, अर्थात् में एक विधिमान्य संतुलन शेल्फ जीवन के साथ पालन खाद्य परेषण से नमूने आकर्षित करेगा: -
- (क) प्रत्येक वर्णन या उपायों के (सड़न रोकनेवाला के अलावा संकुल सील) खाद्य नमूना के दो भाग;

- (ख) खाद्य विश्लेषक के पास नमूने की मात्रा खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011 के अधीन निर्दिष्ट की जाएगी;
- (ग) नमूने मुहरबंद करें
- (10) (क) ऐसे मामलों में जहां आयातित खाद्य को निर्माता के द्वारा एस्पेक्टिक या हीट्रोस्कोपिक की स्थिति को बनाए रखने के लिए सील थोक कंटेनर में पैक किया जाता है, निर्माता द्वारा इस घोषणा के साथ उसी बैच से प्रतिनिधि सील किए गए दो नमूने प्रदान करेगा कि सील किये गए कंटेनर में खाद्य कण नमूना कंटेनर में प्रतिनिधि नमूने के साथ मैच करता हुआ हो।
- (ख) ऐसे सभी मामलों में जहां इस तरह के प्रतिनिधि मुहरबंद नमूने निर्माताओं के द्वारा प्रदान नहीं किए गए हैं ऐसे मामले में प्राधिकृत अधिकारी मुहरबंद तोड़ने के लिए और प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए एक नमूना एकत्र करने के लिए सशक्त है।
- (ग) प्राधिकृत अधिकारी मोहरबंद कंटेनर, जहाँ भी सील प्रतिनिधि प्रदान नमूने संदिग्ध प्रतीत होता है से एक प्रतिनिधि नमूने इकट्ठा करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं।
- (11) सात दिनों से कम शेल्फ आयु वाले आयातित खाद्य मदों के संबंध में आवेदक एकल खिड़की एकीकरण में इसे व्यापार को सुगम बनाने के लिए घोषित करेगा और जिससे प्राधिकृत अधिकारी सीमा शुल्क के लिए नमूना लेगा और अनंतिम जारी करेगा प्रयोगशाला से विश्लेषण रिपोर्ट का प्रतीक्षा किए बिना।
- (12) प्रयोगशाला से रिपोर्ट विश्लेषण के प्राप्त होने पर, प्राधिकृत अधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ-साथ सीमा शुल्क से संवाद करेगा अगर उत्पाद मानक की पुष्टि करता है।
- (13) नमूने के गैर अनुरूपता के मामले में, प्राधिकृत अधिकारी आयातक या सीमा शुल्क ब्रोकर को उनका कंसाइन्मेंट को वापस लेने के लिए कहेगा और चौबीस घंटों के अंदर प्राधिकृत अधिकारी को एवं खाद्य प्राधिकरण के पास अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और खाद्य प्राधिकरण उसी कम्पनी के द्वारा बनाए गए उत्पादों के आयातों पर निगरानी करने के लिए सभी आयात बिन्दुओं को सचेत करेगा या उसी आयातक या सीमा शुल्क ब्रोकर के द्वारा आयात किए गए वही उत्पादों के लिए.
- (14) सील नमूना के आयातित खाद्य लेबल, अर्थात् पर निम्नलिखित जानकारी वहन करेगा: -
- (क) नमूने की कोड संख्या;
- (ख) तारीख और संग्रह का स्थान ;
- (ग) नमूने की मात्रा ;
- (घ) खाद्य का नाम;
- (ङ) नाम और संरक्षक की मात्रा जबकि, अगर किसी भी नमूने ड्राइंग जोड़ा;
- (च) नाम और खाद्य आयातक या अपने सीमा शुल्क हाउस एजेंट के हस्ताक्षर;
- (छ) नाम और सरकारी मुहर के साथ प्रेषक के हस्ताक्षर।
- (15) प्राधिकृत अधिकारी खाद्य विश्लेषक सील और लेबल किए गए खाद्य के एक हिस्से को खाद्य विश्लेषक के पास भेजेगा जो इसका विश्लेषण आयात के लिए विनियमन खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण), 2011 के 2.1 के अधीन करेगा।

- (16) खाद्य नमूना के शेष भागों के प्राधिकृत अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपयुक्त परिस्थितियों में संग्रहीत किया जाएगा।
- (17) नमूना के सुरक्षित पाए जाने पर शेष नमूना खाद्य आयातक को लौटा दी जाएगी।
- (18) नमूना असुरक्षित पाए जाने की स्थिति में, खाद्य आयातक से प्राप्त अपील पर, दूसरा नमूना रेफरल प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए भेजा जा सकता है।
- (19) विदेशी देशों द्वारा निर्यात अस्वीकृत परेषण जिसे मूल देश के रूप में भारत को लौटा दिया गया है, वह इन्हीं नियमों का विषय होगा, सिवाय इसके कि पैकेजिंग और लेबलिंग आवश्यकताओं को निर्यात के देश के साथ अनुसार किया जाएगा।
- (20) आयातक भी निर्यात की देश के अस्वीकृति दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
- (21) खाद्य विश्लेषक के पास प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा भेजे गए नमूने, जो अधिनियम में निर्धारित मानकों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किसी अधिकृत प्रयोगशाला से खाद्य वस्तु का विश्लेषण करेगा और उसकी प्राधिकृत अधिकारी को पांच दिन के भीतर रिपोर्ट भेजेगा कि उत्पाद अनुरूप है या गैर अनुरूप है।
- (22) अगर नमूने को निर्धारित समय के भीतर प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सकता है तो यह खाद्य विश्लेषक से कारण पूछेगा।
- (23) विश्लेषण की रिपोर्ट खाद्य विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

अध्याय - 6

प्रयोगशाला - आयातित खाद्य के नमूनों का विश्लेषण

10. **खाद्य विश्लेषक - (1)** प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भेजा आयातित खाद्य का नमूना का विश्लेषण, खाद्य विश्लेषक खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित प्रयोगशाला से कराएगा
- (2) रेफरल या अधिसूचित प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण आयातित खाद्य के प्रति नमूना प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट के लिए देय फीस के रूप में समय-समय पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (3) प्राधिकृत अधिकारी एक प्रयोगशाला की उप-धारा (1) अधिनियम और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011 खाद्य सुरक्षा की धारा 43 के अधीन और खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की एक खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए आयातित खाद्य लेख का नमूना के पहले भाग भेजेगा।
- (4) अधिसूचित या रेफरल प्रयोगशाला निम्न प्रक्रिया, अर्थात् का पालन करेगा: -
- (क) प्राधिकृत अधिकारी से खाद्य का नमूना प्राप्त होने पर, अधिसूचित या रेफरल प्रयोगशाला तुरंत पता लगाने के लिए कि क्या सभी जानकारी परीक्षण के लिए आवश्यक उपलब्ध या नमूना मात्रा की प्रचुरता पर है नमूने की एक प्रारंभिक निरीक्षण का संचालन करेगा, और अगर प्रयोगशाला में कोई भी कमी है तो वह तुरंत ही प्राधिकृत अधिकारी को सूचित करेगा;
- (ख) अधिसूचित या रेफरल प्रयोगशाला प्रयोग की जाने वाली खाद्य की विभिन्न श्रेणियों के नमूने परीक्षण के लिए किए जाने वाले परीक्षण और प्रयुक्त उपकरणों के संबंध में खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट का पालन करेगा,;
- परन्तु कि उन मामलों में जहां परीक्षण विधि खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया गया है, उनमें अधिसूचित या रेफरल प्रयोगशाला कोडेक्स एलीमेंटोरस आयोग या मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन या

या महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करेगा।

- (ग) अधिसूचित या हैं रेफरल प्रयोगशाला खाद्य प्राधिकरण के संज्ञान में ऐसा कोई भी परीक्षण लाएगा जो किसी खास खाद्य पर किया जा सकता है या कोई नया उपकरण जो इस्तेमाल तो हो सकता है मगर वह परीक्षण के दौरान नहीं किया गया है।
- (5) यथा स्थिति अधिसूचित प्रयोगशाला या रेफरल प्रयोगशाला, प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट सम्यक प्रारूप की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन की निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रारूप -2 के इन नियमों में निर्दिष्ट में अपनी खाद्य विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षर प्रदान करेगा।
- (6) एक आयातक को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा गैर अनुरूपता प्रमाण पत्र जारी करने के पंद्रह दिनों के भीतर अधिसूचित लैब के परिणामों के खिलाफ अपील दायर करनी चाहिए।
- (7) खाद्य आयातक द्वारा अपील करने पर, प्राधिकृत अधिकारी निर्दिष्ट रेफरल प्रयोगशाला में अधिनियम की धारा 43 और खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011 की उप-धारा (2) के अधीन खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित करने के लिए प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए आयातित खाद्य लेख का दूसरा नमूना भेजेगा।
- (8) जब भी किसी खाद्य नमूने में प्रयोगशाला विश्लेषण में संदूषकों और सूक्ष्मजीवविज्ञानी जीवों का पता चलता है जो सुरक्षा और उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा पैदा हो सकता है खाद्य विश्लेषक उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को ही सूचित करेगा।
- (9) अगर अधिकृत अधिकारी का मानना है कि आयातित खाद्य परेषण सुरक्षा और उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है तो वह पुष्टि की तलाश करने के लिए स्वप्रेरणा से रेफरल प्रयोगशाला कोदोबारा परीक्षण कराएगा
- (10) विनियमन 10 के उप विनियमन 10 बताए गए दोबारा परीक्षण को तुरंत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खाद्य प्राधिकरण के ध्यान में लाया जाएगा।
- (11) नमूने, अगर खतरनाक पाए जाते हैं तो उन्हें निम्न जैव खतरनाक दिशा निर्देशों का पालन कर एक निर्धारित प्रक्रिया से नष्ट किया जाएगा, और सभी आयातित खाद्य वस्तुओं के नमूने जो संबंधित है, उन्हें अनिवार्य रूप से नष्ट किया जाएगा या मूल देश में वापस निर्यात कर दिया जाएगा, खाद्य आयातक के द्वारा ऐसा किए जाने के सात दिनों के अन्दर, जिसके न करने पर खाद्य आयातक और उसके सीमा शुल्क हाउस एजेंट संयुक्त और पृथक एक दंड दस बार आयातित खाद्य के मूल्य और खाद्य आयातक उत्तरदायी होंगे और अनुज्ञप्ति किसी भी आगे की सूचना के बिना रद्द हो जाएगी।

अध्याय – 7

जोखिम आधारित खाद्य आयात निकासी के लिए स्कीम

11. जोखिम आधारित ढांचे - (1) खाद्य प्राधिकरण, आयातित खाद्य वस्तुओं की निकासी के लिए एक जोखिम आधारित ढांचे और जोखिम आधारित निरीक्षण प्रक्रिया अपना सकते हैं।
- (2) नियमन 11 के उप विनियम 1 की प्रक्रिया के लिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण आयातक, सीमा शुल्क हाउस एजेंटों, आयातित उत्पाद, आयातित उत्पाद के निर्माता, देश की उत्पत्ति, स्रोत देश परेषण, प्रवेश, अनुपालन इतिहास की प्रोफाइल करेगा और किसी भी अन्य मानकों के पत्तन वस्तु के साथ जुड़े जोखिम की रूपरेखा के लिए फिट समझा।
- (3) प्राधिकरण आयात को विनियमित करने के लिए पूर्व आगमन दस्तावेज़ की पुनरवलोकन प्रस्तुत कर सकता है।

- (4) संबंधित मंत्रालय के साथ परामर्श में उचित रूप से खाद्य प्राधिकरण पारस्परिक आधार पर देशों के निर्यात और व्यापार करने में आसानी के साथ खाद्य आयात के त्वरित निकासी की सुविधा के लिए संबंधित अभिकरणों के साथ जापान के करार में प्रवेश कर सकते हैं।
- (5) खाद्य प्राधिकरण खाद्य के नमूने की पूर्व परीक्षण के लिए निर्यात करने वाले देशों में प्रयोगशालाओं की पहचान से पहले खाद्य वस्तुओं भारत में आयात कर सकते हैं।
- (6) खाद्य प्राधिकारी समय समय पर खाद्य चेतावनी सूचनाएं जारी कर सकता है जिसमें समयबद्ध निषिद्ध खाद्य पदार्थ या निषिद्ध स्रोत या रिकॉल, सम्मिलित होते हैं, जो खाद्य लेख के साथ जुड़े जोखिम के आधार पर होती है।
- (7) सभी आयातकों खाद्य परेषण के साथ जुड़े जोखिम की किसी भी स्थिति के मामले में उत्पादों की पता लगाने की क्षमता को सुनिश्चित करने की आपात योजना के विस्तार का वर्णन एक याद योजना प्रस्तुत करेगा, जिसके असफल होने पर खाद्य व्यापार परिचालक का अनुज्ञप्तिरद् हो सकता है।
- (8) खाद्य चेतावनी अधिसूचना तुरंत सीमा शुल्क विभाग के जोखिम प्रबंधन प्रणाली को सूचित किया जाएगा।
- (9) चेतावनी अधिसूचना तब तक प्रवृत्त रहता है जब तक खाद्य प्राधिकरण से समाधान है कि अब कोई जोखिम प्रचलित नहीं है या जोखिम नियंत्रण के उपाय जारी हैं और जैसा परीक्षण रिपोर्ट से भी पुष्टि की जाती है।
- (10) चेतावनी अधिसूचना के लंबित रहने के दौरान, खाद्य प्राधिकरण प्रवेश बिंदु के लिए आदेश जारी कर सकता है निर्यातक देशों से आवश्यक प्रमाणीकरण या तटीकरण के बिंदु पर अतिरिक्त परीक्षण के लिए आदेश दे सकता है।
- (11) सरकारी अभिकरण सभी खाद्य आयात के क्लीयरेंस के बाद निगरानी करेगा: -
 - क) आयातित खाद्य वस्तुओं पर यादृच्छिक जाँच ,
 - ख) संबंधित दस्तावेज घोषणाओं और जानकारी आयातक या सुगम व्यापार के लिए सीमा शुल्क एकल खिड़की एकीकरण में सीमा शुल्क हाउस एजेंट का समर्थन करने के लिए प्रदान करते हैं।

अध्याय – 8

खाद्य आयात पर निषेध और निर्वन्धन

12. खाद्य प्राधिकरण की शक्ति निषेध और खाद्य के आयात पर प्रतिबंध के लिए आदेश जारी करने के लिए - (1) खाद्य प्राधिकरण किसी भी ऐसे खाद्य पदार्थ के आयात को प्रतिबंधित कर सकता है या निषेध कर सकता है जिसे वह इस सम्बन्ध में उचित समझे।
- (2) खाद्य प्राधिकरण सलाहकार या दिशानिर्देश या आदेश जारी कर सकता है जैसा वह समय समय पर सुरक्षा और खाद्य की पूर्णता को सुनिश्चित करता है और ऐसे प्रतिबंधों को समय समय पर सीमा शुल्क को सूचित किया जाएगा।
- (3) हर खाद्य आयातक जिसे जिसे किसी भी दिशा या आदेश में इन नियमों में से किसी उपबंधों के अनुसरण में जारी किया जाता है वह ऐसे आदेशों या निर्देशों का पालन करेगा और अगर वह ऐसा करने में विफल रहता है तो आयात अनुज्ञप्ति रद्द हो सकता है।
- (4) सीमा शुल्क अधिकारी, पत्तन के अधिकारी या किसी अन्य अभिकरण निकासी, अस्वीकृति, नीलामी या सीमा शुल्क क्षेत्र में आयातित खाद्य वस्तुओं के विनाश में शामिल तिमाही आधार पर खाद्य प्राधिकरण को ऐसे सभी आँकड़े प्रदान करेगा।

अध्याय – 9

खाद्य प्राधिकरण के अधिकारी

13. (1) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य आयात निकासी के प्रयोजन के लिए अधिकारियों को अधिसूचित करेगा, और यह भी खाद्य आयात मंजूरी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाए रखने के लिए अन्य सरकारी अभिकरणों के अधिकारियों सूचित कर सकते हैं।
- (2) प्राधिकृत अधिकारी के पास निम्नलिखित शक्ति और कर्तव्य होंगे अर्थात्:-
- (क) खाद्य आयात निकासी के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए;
- (ख) ऐसी जांच और निरीक्षण सत्यापित करने के लिए, यदि खाद्य का आयात उसके अधीन बनाए गए अधिनियम, नियम और विनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन है आवश्यक हो सकता है के रूप में बनाने के लिए;
- (ग) अगर आयात कि चीज़े को अंतिम उपयोग घोषणा के रूप में खाद्य आधारित गैर वर्गीकृत किया जाता है तो निरीक्षण से मना करने का और उसके अनुसार ही सीमा शुल्क को बताने का;
- (घ) विनियमन 7 के उप विनियमन 13 में तय सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए;
- (ङ) पुनरवलोकन और प्रलेखन के लिए आयातित खाद्य परेषण की फोटो ग्राफ लेने के लिए;
- (च) आयातित खाद्य के परीक्षण के लिए नमूने आकर्षित; यदि सभी शर्तों विनियमन 6 में निर्धारित के साथ पालन कर रहे हैं;
- (छ) आयातित खाद्य के अतिरिक्त नमूने को एकत्र करना,
- (ज) नमूने और सत्यापन के आहरण के लिए खुले किसी पैकेज को पुनः मुहर बंद करना
- (झ) विश्लेषण के लिए उचित रीती में अधिसूचित प्रयोग शाला के खाद्य विश्लेषक को अग्रेषित करना और प्रयोगशाला विश्लेषक कि रिपोर्ट प्राप्त करना
- (ञ) नमूने की आहरण के लिए किसी भी खुले पैकेज को दोबारा सील करना और यह प्रमाणित करना कि उसे खोला गया है और सील किया है;
- (ट) विश्लेषण के लिए और प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए उचित तरीके से अधिसूचित प्रयोगशाला में एक खाद्य विश्लेषक को नमूने भेजना;
- (ठ) दृश्य निरीक्षण, जोखिम क्षमता और निर्देश समय से खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय पर जारी आधार पर आयातित खाद्य के खाद्य के नमूने पर अतिरिक्त परीक्षण के आदेश के लिए;
- (ड) खाद्य प्राधिकरण को खाद्य या खाद्य सामग्री में पहले से ज्ञात खतरों या किसी भी अन्य तकनीकी कठिनाइयों के किसी भी नए किस्म के सूचित करने के लिए;
- (ढ) सभी खाद्य आयात का रिकॉर्ड बनाए रखना, नमूने और संबंधित गतिविधियों, कार्रवाई की गई, समीक्षा प्रक्रिया उसे और लिखित रूप में समय-समय पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा आवंटित कार्य और सीमा के पत्तन के क्षेत्राधिकार के भीतर सहित सभी निरीक्षण और तस्वीरों और ऑडियो द्वारा - वीडियोग्राफी;
- (ण) खाद्य आयातक द्वारा किसी भी अनुज्ञप्तिशर्तों के किसी भी उल्लंघन पर चिंतित लाइसेंसिंग प्राधिकरण को रिपोर्ट करने के लिए;

- (त) आयातित खाद्य पदार्थों को नष्ट करने या दोबारा से निर्यात करना जैसा वह उचित समझे;
- (थ) पूर्व आगमन दस्तावेज़ की समीक्षा के बारे में खाद्य के अधीन आयातक से आगमन के अग्रिम सूचना प्राप्त होने पर तुरंत प्रयोगशाला को सूचित करने के लिए;
- (द) सुनिश्चित करने के लिए कि प्रयोगशालाएं खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिकृत सभी निर्दिष्ट प्रक्रियाओं का पालन करें और परीक्षण के नियमों या अनुमतियाँ खाद्य प्राधिकरण द्वारा दी रूप में निर्दिष्ट सभी मापदंडों का प्रदर्शन करें;
- (ध) सुनिश्चित करने के लिए कि प्रयोगशालाएं खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिकृत प्रारूप के रूप में खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट में आयातित खाद्य की प्रयोगशाला विश्लेषण रिकॉर्ड बनाया जाए;
- (न) पुनरवलोकन समीक्षा प्रक्रिया के दौरान समीक्षा अधिकारी के सामने सभी संबंधित तथ्यों और दस्तावेजों को पेश करने के लिए;
- (प) सीमा शुल्क प्राधिकारियों से आयातित खाद्य माल पर डेटा या जानकारी लेने के लिए;
- (फ) अपील अनुरोध के आधार पर रेफरल खाद्य प्रयोगशाला में फिर से विश्लेषण के लिए उपयुक्त परिस्थितियों में खाद्य के नमूने के शेष भागों की दुकान करने के लिए खाद्य आयातक से प्राप्त या, खाद्य आयातक या रसीद के साथ खाद्य व्यापार प्रचालक पर लौटने के जारी होने के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र;
- (ब) समय-समय पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा आवंटित अन्य कार्य करना;
- (भ) अनापत्ति प्रमाणपत्र या गैर अनुरूप प्रमाण पत्र को सीमा शुल्क अधिकारियों और खाद्य आयातक के लिए जारी करना तथा;
- (म) समय समय से खाद्य प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित अन्य कर्तव्यों का किर्यान्वयन करना ।

अध्याय – 10

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश

14. **अनापत्ति प्रमाण पत्र.—(1)** प्राधिकृत अधिकारी प्रारूप प्रारूप 3 में निर्दिष्ट में एक 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जारी करेगा, खाद्य की सुरक्षा का निर्धारण करने के बाद किए जा रहे खाद्य के आयात की अनुमति के लिए अपनी मुहर और हस्ताक्षर के अधीन इन नियमों के आधार पर आयातित, और बातचीत करेगा सीमा शुल्क और खाद्य आयातक के लिए एक निर्धारित रीति से इस तरह के आदेश जारी करेगा।
- (2) अनापत्ति प्रमाण पत्र खाद्य के आयात की अनुज्ञा देने की वैधता अवधि को बता सकता है जिसमें खाद्य आयातकों के द्वारा खाद्य पदार्थों को सीमा शुल्क क्षेत्र से ले जाया जाएगा और विभिन्न प्रकार के खाद्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की समीक्षा समय समय पर खाद्य प्राधिकरण करेगा।
- (3) खाद्य आयातक अनापत्ति प्रमाणपत्र में दी गयी वैधता अवधि के अन्दर सीमा शुल्क क्षेत्र से जारी खाद्य पदार्थों को पाने के लिए प्रभावी कदम उठाएगा जिसके न किए जाने पर उन्हें बिना निकासी किए खाद्य पदार्थों में गिना जाएगा।
- (4) प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट की एक प्रति को सीमा शुल्क और खाद्य आयातक, के पास भेजा जाएगा जहाँ भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर जारी किया जाता है ।

- (5) प्राधिकृत अधिकारी एक गैर अनुरूपता रिपोर्ट प्रारूप 4 में जारी करेगा, उसमें वे आधार बताएगा कि इन नियमों के आधार पर इंकार किया गया है, जहाँ भी आयातित खाद्य पदार्थों की निकासी को मना किया गया है, उसकी सील और हस्ताक्षर के अंतर्गत, और वह ऐसे आदेश को सीमा शुल्क, खाद्य प्राधिकरण और खाद्य आयातकों को एक निर्दिष्ट तरीके से बताएगा।
- (6) प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट की एक प्रति को सीमा शुल्क, खाद्य प्राधिकरण और खाद्य आयात के पास भेजा जाएगा जहाँ भी रिपोर्ट को एक गैर-अनुरूपता प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर जारी किया जाता है।
- (7) गैर अनुरूपता प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट और रेफरल प्रयोगशाला से बाद में पुष्टि की अनुशंसाओं एवं पुष्टि के आधार पर अगर प्रदूषण या सूक्ष्मजीवविज्ञानी जीवों की उपस्थिति सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा होने की संभावना है तो प्राधिकृत अधिकारी, पूर्व अनुमोदन के साथ खाद्य प्राधिकरण प्रारूप - 5 के अनुसार खाद्य के अनिवार्य विनाश के लिए आवश्यक आदेश पारित करेगा।
- (8) सीमा शुल्क प्राधिकृत अधिकारी को विनाश से समबन्धित सभी उचित जानकारी सहित रिपोर्ट प्रदान करेगा और उसे वित्तीय वर्ष के हर तिमाही उपलब्ध कराया जाएगा।

अध्याय - 11

पुनरवलोकन प्रक्रिया

15. **पुनरावलोकन आदेश.—(1)** प्राधिकृत अधिकारी के निम्नलिखित आदेशों में से किसी आदेश द्वारा व्यथित खाद्य आयातक ऐसे आदेश के खिलाफ किसी पुनरवलोकन अधिकारी को या इस निमित्त गठित समिति पुनरवलोकन आवेदन कर सकता है: -
 - (क) विनियमन 7 के विनियमन 13 में विनिर्दिष्ट किसी भी स्थिति के साथ गैर अनुपालन के आधार पर आयातित खाद्य वस्तुओं की निकासी को मना करना;
 - (ख) किसी भी खाद्य आयातक निर्देशन खाद्य लेख की लेबलिंग सुधारने के लिए आदेश; तथा
 - (ग) खाद्य विश्लेषक से एक गैर-अनुरूपता रिपोर्ट प्राप्त होने पर जारी अस्वीकृति की रिपोर्ट।
- (2) (क) पुनरावलोकन आवेदन प्रारूप अनुसूची-6 में निर्दिष्ट में होगी और यह शुल्क समय-समय पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट के साथ किया जाएगा
 - (ख) पुनरावलोकन आवेदन को खाद्य आयातक के लिए अस्वीकृति की रिपोर्ट के संचार की तिथि से सात दिनों के काम के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पुनरावलोकन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
 - (ग) पुनरावलोकन अधिकारी सात दिनों के काम की एक विस्तारित अवधि के लिए उक्त अवधि की समाप्ति के बाद एक पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार कर सकते हैं अगर वह संतुष्ट है कि खाद्य आयातक के पास उस अवधि के भीतर इसे पेश नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था।
- (3) (क) पुनरावलोकन अधिकारी तथ्यों पर विचार करने और अधिनियम के उपबंधों और नियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और परामर्श या सूचनाएं समय-समय पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए के अनुसार पुनरावलोकन आवेदन का निपटान करेगा।
 - (ख) सभी दस्तावेजों के साथ पुनरावलोकन के लिए पूरा आवेदन प्राप्त होने पर, पुनरावलोकन अधिकारी, अगर फिट हो सकता है समझे, तारीख, समय और खाद्य आयातक का प्रतिनिधित्व सुनवाई के आयोजन स्थल तय करेगा।
 - (ग) खाद्य आयातक, व्यक्तिगत रूप से या एक प्रतिनिधि, और प्राधिकृत अधिकारी, व्यक्तिगत रूप से या एक अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या तो द्वारा या तो, ठीक समीक्षा आवेदन की सुनवाई करेगा।
 - (घ) अगर दोनों ही दलों में से कोई भी दल खुद समीक्षा आवेदन की सुनवाई में मौजूद नहीं है, समीक्षा अधिकारी के पास योग्यता के आधार पर समीक्षा का फैसला करने की शक्ति है।

- (ड) पुनरावलोकन अधिकारी सात दिन की अवधि के भीतर सभी पुनरावलोकन अनुप्रयोगों का निपटान करेगा, खाद्य आयातक और अधिकृत अधिकारी का जबाब उसके द्वारा पुनरावलोकन आवेदन दाखिल करने के बाद: परन्तु कि पुनरावलोकन अधिकारी और सबूत या सामग्री की अनुमति दे सकता है अगर वह आवश्यक समझे और वह भी रेफरल प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए नमूना का एक हिस्सा भेज सकते हैं।
- (च) पुनरावलोकन अधिकारी किसी भी समीक्षा आवेदन को समाप्त करने पहले कोई भी इन्क्यायरी समाप्त कर सकता है अगर वह उसे उचित समझे या वह ऐसी कोई पूछताछ के लिए किसी भी प्राधिकृत अधिकारी को निर्देश दे सकता है और इसके परिणाम को रिपोर्ट कर सकता है।
- (छ) पुनरावलोकन अधिकारी, समीक्षा आवेदन की सुनवाई के समय पर उन कारणों की भी पुनरावलोकन कर सकता है जिसे पुनरावलोकन के लिए उचित नहीं लिया था, अगर पुनरावलोकन अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि उस आधार को जानबूझ कर नहीं हटाया था।
- (ज) पुनरावलोकन आवेदन को नष्ट करने का पुनरावलोकन अधिकारी का आदेश लिखित में होगा और वह तय करने के लिए कुछ बिंदु बताएगा, निर्णय बताएगा और ऐसे निर्णय के लिए कारण बताएगा।
- (झ) पुनरावलोकन आवेदन के निपटान पर, समीक्षा अधिकारी खाद्य आयातक, सीमा शुल्क और अधिकृत अधिकारी को समीक्षा आवेदन में पारित आदेश बातचीत करेगा।

अध्याय -12

निरस्त खाद्य परेषण और खाद्य नमूने के निपटान

16. आयातित खाद्य परेषण की अस्वीकृति.—(1) (क) गैर-अनुरूपता रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अभिरक्षक या आयातक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के उपबंधों के अनुसार आयातित खाद्य परेषण का निपटान करेगा:

परन्तु, वास्तविक निपटान में केवल प्राधिकृत अधिकारी के आदेश और लागत और खाद्य के भंडारण में किए गए खर्च के खिलाफ खाद्य आयातक द्वारा पुनरावलोकन आवेदन दाखिल करने के लिए इन विनियमों के अधीन प्रदान की सीमा की अवधि बीत जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा, इस तरह के मामलों, खाद्य आयातक द्वारा वहन किया जाएगा;

- (ख) प्राधिकृत अधिकारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की जारी करने की तिथि से दस दिनों की अवधि के अन्दर नमूना का एक हिस्सा रखते हुए खाद्य आयातक या रसीद के साथ अपने सीमा शुल्क हाउस एजेंट को शेष नमूना वापस करेगा;
- (ग) खाद्य आयातक, खाद्य व्यापार प्रचालक या खाद्य आयातक या अपने सीमा शुल्क हाउस एजेंट द्वारा नमूना के शेष भागों को इकट्ठा करने के लिए विफलता पर प्राधिकृत अधिकारी खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से नमूने के निपटान करेगा द्वारा;
- (घ) गैर-अनुरूपता रिपोर्ट प्राप्त होने पर नमूने के शेष भागों को खाद्य आयातक या अपने सीमा शुल्क हाउस एजेंट और एक ही तीस दिन की अवधि के लिए प्राधिकृत अधिकारी की सुरक्षित हिरासत में रखा जाएगा: परन्तु कि अगर कोई खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट आवेदन या कोई भी कानूनी प्रसंस्करण गैर अनुरूपता रिपोर्ट के खिलाफ खाद्य आयातक या खाद्य व्यापार ऑपरेटर द्वारा दायर की जाती है और अगर वह लंबित है, तो नमूना के दूसरे भाग प्राधिकृत अधिकारी के साथ समीक्षा आवेदन तक रहने देना या किसी भी विधिक कार्यवाही का निपटारा किया जाता है;
- (ड) अगर कोई पुनरावलोकन आवेदन दायर नहीं की है और नमूना सार्वजनिक स्वास्थ्य को जोखिम दे सकता है तो नमूने को विनियमन 14 के नियमन के 7 के अनुसार नष्ट किया जा सकता है।

- (च) अगर कोई पुनरवलोकन आवेदन गैर अनुरूपता रिपोर्ट की समीक्षा की तिथि से इन नियमों के अंतर्गत दाखिल नहीं की गयी है या अगर समीक्षा अनुमत नहीं की गयी है तो प्राधिकृत अधिकारी नमूना के शेष भाग का निपटान करेगा जिस तरीके से खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की गयी है।

अध्याय – 13

गैर-मंजूर और गैर-दावा किए गए खाद्य का उपचार

17. **बिना अनुमत खाद्य पदार्थ.—**(1) (क) खाद्य आयात परेषण को अगर खाद्य आयातक द्वारा सीमा शुल्क क्षेत्र से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट वैधता की अवधि के भीतर नहीं लिया गया है तो इसे बिना अनुमत का खाद्य पदार्थ माना जाएगा।
- (ख) प्राधिकृत अधिकारी, खाद्य कि वस्तुओं के सभी मामले निपटन के लिए इन विनियमों के अधीन अभिकथित निरीक्षण, नमूने, परीक्षण और निकासी की प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।
- (2) प्राधिकृत अधिकारी, अबिराक्षक द्वारा किये गए अनुरोध कि प्राप्ति पर और सुनिश्चित करने के पश्चात कि अपेक्षित फीस संदत्त कि गई है निरीक्षण और प्रयोगशाला विश्लेषक पर आधारित खाद्य पदार्थ के परीक्षण के पश्चात अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करेगा।

प्रारूप – 1

[विनियम 5 का उप - विनियम 8 देखें]

दृश्य निरीक्षक रूपविधान

कंटेनर पर सील का निरीक्षण किया गया, उसे ----- के रूप में पढ़ा गया तथा इसे अविकल पाया गया।

सील को प्राधिकृत अधिकारी या उसके प्रतिनिधियों द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में तोड़ा गया :

- 1.
- 2.
- 3.

तोड़ी गई सील का रूपविधान



भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण



प्रवेश पत्तन: _____

<p>इस पैकेज को एफएसएसआई के अधिकृत अधिकारियों द्वारा खोला गया और एक सैंपल को लिया गया है जिसका अधिसूचित प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी की सील</p>	<p>स्थान: _____ सैम्पल आईडी: _____ हस्ताक्षर: _____ अधिकारी का नाम: _____ दिनांक: _____ समय: _____</p>	<p>पैकेज को मेरी उपस्थिति में पुनः सील किया गया है सीमा शुल्क हाउस एजेंट के लघु हस्ताक्षर</p>
---	---	--

(कृपया लागू को चिन्हित करें)

कंटेनर में कुछ भी भंडारित नहीं किया गया था।

निम्नलिखित को कंटेनर में भंडारित पाया गया:

- 1.
- 2.
- 3.

खाद्य वस्तुओं को साफ और स्वच्छ अवस्था में भंडारित किया गया तथा ये निम्न से मुक्त थे:

1. कीट के जीवित/ मृत/ अंश
2. कृतक संदूषण
3. सांचे
4. अवांछित गंध, दाग अथवा फफूंदी
5. कोई अन्य पदार्थ, जो खाद्य की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।

पैकेज करने वाली सामग्री का निरीक्षण किया गया और निम्नलिखित को पाया गया;

पैकेज प्रथम दृष्टया पैकेजिंग और लेबलिंग आवश्यकताओं के अनुसार (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के अनुरूप पाया गया।

खाद्य परेषण के पैकेज का निरीक्षण किया गया और निम्नलिखित को देखा गया:

1. आकार
2. उपयोग की गई सामग्री
3. सुरक्षित रूप से पैक और सील
4. काटने के निशानों, जंग, छिद्रण, सीवन विरूपण, रिसाव आदि से मुक्त

पैकेज का संक्षिप्त विवरण:

लेबल का फोटोग्राफ

अवलोकन - खाद्य परेषण, खाद्य संरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के उपबंधों के अनुपालन में है। खाद्य वस्तु नमूना लेने के लिए योग्य/अयोग्य पाया गया, तथा इसलिए सैम्पल लिया / नहीं लिया गया।

हस्ताक्षर/

प्राधिकृत अधिकारी

प्रक्रिया को सभी हस्ताक्षरकर्ताओं की उपस्थिति में क्रियान्वित किया गया, जिन्होंने प्रक्रिया की सत्यता के लिए वर्तमान जापन पर अपनी पावती के टोकन के रूप में हस्ताक्षर किए।

- 1.
- 2.

प्रारूप - 2

[विनियम 6 का उप - विनियम 10 देखें]

प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट

प्रयोगशाला के पते का नाम

परीक्षण प्रमाण पत्र सं:

दिनांक:.....

प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट

1. नमूना की पहचान : नमूना सं.:
2. संदर्भ सं. :
3. नमूना प्राप्त हुआ :
4. नमूना का ब्यौरा : नमूना सामग्री का संक्षिप्त विवरण
5. आयतन/ भार :
6. नमूना प्राप्ति की तिथि और समय : समय:..... तिथि.....
7. लॉट/ बैच सं. :
8. उत्पादन की तिथि : (mmyyyy)
9. प्राप्त शुल्क : हां
10. लेब कोड सं. : प्रयोगशाला द्वारा इसके अभिलेख के लिए निरूपित किया गया कोड
- A. भौतिक परीक्षण
11. पैकेजिंग का प्रकार :
12. पैकिंग की दशा : _____
13. नमूना की भौतिक अवस्था : _____
14. लेबलिंग का पर्याप्त विवरण : हां नहीं
15. यदि पैकेजिंग की अवस्था या नमूना अथवा लेबल पर दिया गया विवरण स्वीकार्य नहीं हुआ है, तो कारण बताएं:

B. प्रयोगशाला विश्लेषण

16. विश्लेषण शुरू करने की तिथि: विश्लेषण पूर्ण होने की तिथि:

परीक्षण परिणाम

क्र. सं.:	गुणवत्ता की विशेषताएं	विनिर्दिष्ट मान	पद्धति का नाम	परीक्षण परिणाम (value)

C. निष्कर्ष:

- नमूना अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुरूप है।
- नमूना अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुरूप नहीं है।
- नष्ट करने की अनिवार्यता आवश्यक है: हां नहीं

यदि हां, टिप्पणी लिखें:

1. _____
2. _____

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम और सील एवं पद नाम

प्रारूप - 3

[विनियम 14 के उप-विनियम 1 को देखें]

अनापत्ति प्रमाणपत्र

अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या:

दिनांक:

प्रविष्टि/ स्थान का पत्तन : आयात की साधारण व्यक्त सं. और तिथि:

बिल ऑफ एंट्री संख्या और दिनांक:

सेवा में,

सहायक/ सीमा शुल्क उपायुक्त

श्रीमान,

बिल ऑफ एंट्री अनुसार उत्पाद	नमूना आईडी	निर्यातक देश

टिप्पणी: अनुरूप

इस अनापत्ति प्रमाणपत्र को जारी करने की तिथि पर, उत्पाद की शेष सेल्फलाइफ:

इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है यदि उपरोक्त निर्धारित यदि उपरोक्त उल्लेखित खाद्य इस पत्तन से (अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैध अवधि) से पहले जारी या हटाया जाता है, जैसाकि निरीक्षण या विश्लेषण के परिणामस्वरूप नमूना खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, नियम और विनियमों के अंतर्गत निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप है।

कृपया, यह आपकी जानकारी और आवश्यक कार्यवाई हेतु है।

दिनांक:

प्राधिकृत अधिकारी की सील सहित नाम/हस्ताक्षर

स्थान:

प्रतिलिपि को:

आयातक का नाम और आयात निर्यात कोड:

आयातक का पता:

आयातक की खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम अनुज्ञप्ति संख्या:

सीमा शुल्क ब्रोकर के नाम:

संलग्नक: प्रयोगशाला की रिपोर्ट/ प्रमाण पत्र

अनुसूची - 4

[विनियम 14 का उप - विनियम 5 देखें]

गैर - अनुरूपता रिपोर्ट

गैर - अनुरूपता सं.:

दिनांक:

प्रविष्ट का पत्तन / स्थान: आयात सानान्य प्रकट सं. और तिथि:

बिल ऑफ एंट्री स. एवं तिथि:

सेवा में,

सहायक / उप सीमा शुल्क कमिश्नर

श्रीमान,

बिल ऑफ एंट्री अनुसार उत्पाद	सैम्पल आईडी	निर्यातक देश

परेषण को निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत किया गया है:

1.
2.
3.

इस कार्यालय की राय है कि परेषण को इस पत्तन से उपरोक्त उल्लेखित कारणों से जारी/हटाया नहीं किया गया है।

यह आपकी जानकारी और आवश्यक कार्रवाई हेतु है।

दिनांक:

प्राधिकृत अधिकारी की सील सहित नाम/ हस्ताक्षर

स्थान:

प्रतिलिपि:

आयातक का नाम और आयात निर्यात कोड:

आयातक का पता:

खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम आयातक की अनुज्ञप्ति सं.:

सीमा शुल्क दलालों के नाम:

संलग्नक: रिपोर्ट/ प्रयोगशाला का प्रमाण पत्र

प्रारूप - 5

[विनियम 14 का उप - विनियम 7 देखें]

अनिवार्य विनाश आदेश

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, प्राधिकृत अधिकारी

सेवा में,

तिथि:

सहायक सीमा शुल्क, आयुक्त

खाद्य अनुच्छेद के द्वारा आयातित किया गया:

आयातक अनुज्ञप्ति नं.:

पोत का नाम:

आयात सामान्य मेनीफेस्ट संख्या:

दिनांकित:

बीई:

दिनांकित:

सूचकांक सं.:

सीमा शुल्क दलाल अनुज्ञप्ति सं.:

सीमा शुल्क दलाल का नाम:

सेवा में,

1. उपरोक्त उल्लेखित खाद्य परेषण _____ के द्वारा आयातित.....का निरीक्षण
.....भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के अधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया है और सैम्पलों की अधिसूचना का प्रयोगशाला के द्वारा विश्लेषण किया गया है।

2. यह कार्यालय आपको इस खाद्य वस्तु के आयात की मंजूरी को अस्वीकृत करने और इसे पत्तन से न छोड़ने का अनुरोध करता है, क्योंकि खाद्य वस्तु के सैंपल के निरीक्षण और विश्लेषण के परिणामस्वरूप यह खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुरूप नहीं है।

3. गैर-अनुपालन प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट के निष्कर्षों और सिफारिशों के आधार पर और नामित प्रयोगशाला की बाद की पुष्टि के बाद खाद्य सैंपलों में संदूषण और सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति पाई गई जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण खतरे में डाल सकते हैं। प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न है।

4. यह कार्यालय इस खाद्य वस्तु के आयात की मंजूरी को अस्वीकृत करने और इसे इस पोर्ट से न छोड़ने का अनुरोध करता है और इस परेषण की खाद्य वस्तुओं के अनिवार्य विनाश की सिफारिश सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम के कारण करता है।

यह आपकी जानकारी और आवश्यक कार्रवाई हेतु है।

भवदीय,

(अधिकृत अधिकारी का नाम और मोहर)

• प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट की प्रति संलग्न

प्रारूप - 6

[विनियमन 15 के उप- विनियमन 2 के खंड (2) को देखें]

पुनरवलोकन अधिकारी हेतु समीक्षा आवेदन

याचि का नाम और पता:

खाद्य व्यापार परिचालक के रूप में पंजीकरण सं.:

आयातक का अनुज्ञप्ति नं.:

आयात विवरण

आयात की तिथि: _____ बिल ऑफ एंट्री सं. _____

आयात बिंदु: _____

विचाराधीन खाद्य वस्तु का नाम: _____

उत्पाद का प्रकार: _____

खाद्य वस्तुओं का वीजक मूल्य: _____

नष्ट होने वाला: हां/ नहीं _____

उत्पाद का शेष सेल्फलाइफ: _____

अंतिम उपयोग: _____

अस्वीकृति रिपोर्ट का विवरण

पुनरवलोकन हेतु मांगी गई अस्वीकृति रिपोर्ट की तिथि: _____

आदेश के द्वारा पारित _____

(प्राधिकरण) (स्थान)

खाद्य संरक्षा और मानक (खाद्य आयात) विनियमन, 2012 जिसके अंतर्गत अस्वीकृत रिपोर्ट पारित की गई थी:

अपील में राहत दावा किया गया: _____

तथ्यों का विवरण:

अपील का आधार

- 1.
- 2.
- 3.

तिथि:

.....

स्थान:

हस्ताक्षर
(याचिकाकर्ता)

सत्यापन फॉर्म

मैं,, याचि यहां पर / याचि का अधिकृत प्रतिनिधि, यहां पर घोषणा करता हूं कि संलग्न प्रारूप -I तिथि में जो कथित किया गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान.....

तिथि

(याचिकाकर्ता)

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./281(187)]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2016

F.No.1/2008/Import Safety/FSSAI:- The following draft Food Safety and Standards (Food Import) Regulations, 2016, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhavan, Kotla Road, New Delhi-110002 or may be mailed at regulation@fssai.gov.in.

Any objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period specified, shall be considered by the Food Authority.

Draft regulations

The Food Safety and Standards (Food Import) Regulations, 2016

Chapter – I

Preliminary

1. **Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Import) Regulations, 2016.
2. **Definitions.-** (1) In these regulations unless the context otherwise requires,-
 - (a) “Act” means the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006);

- (b) **“Authorised Officer”** means a person appointed as such by the Chief Executive Officer of the Food Safety and Standards Authority of India by an order for the purpose of performing functions under section 25 of the Act;
- (c) **“Balance shelf-life”** means the period between the date of import (Import General Manifest) and “Best Before” or “Date of expiry” as the case may be;
- (d) **“bill of entry”** means the bill of entry filed by the Importer under the provisions of section 46 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962);
- (e) **“Custodian”** means an officer appointed by Commissioner of Customs under whose custody the imported goods shall remain until they are cleared from the customs area for home consumption or are ware housed or are transshipped as provided in the law.
- (f) **“customs airport”** means any airport appointed under clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962);
- (g) **“customs area”** means the area of a customs station and includes any area in which imported goods or export goods are ordinarily kept before clearance by customs authorities;
- (h) **“Custom House Agent”** shall have the meaning assigned to it in clause (c) of section 2 of the Custom House Agent Regulation, 2004;
- (i) **“customs port”** means any port appointed under clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) to be a customs port and includes a place appointed under clause (aa) of that section to be an inland container depot;
- (j) **“fees”** means the charges specified by food authority for clearance of imported food consignments;
- (k) **“Food Analyst”** means a person appointed under section 45 of the Act to analyse the food sample;
- (l) **“Food Importer”** means a Food Business Operator importing or desirous of importing Food into Indian territory, who is duly licensed as Importer under the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011 made under the Act;
- (m) **“Import”** means bringing into India any article of food by land, sea or air;
- (n) **“non-conformance report”** means a report issued to the customs authorities and the food importer by the Authorised Officer, or any other officer specifically authorised for this purpose, by the Food Authority, for non compliance of the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder, of the consignment of the Food Importer;
- (o) **“no objection certificate”** means a certificate issued to the customs authorities and the food importer by the Authorised Officer, or any other officer specifically authorised for this purpose, by the Food Authority for conformance with the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder, of the consignment of the Food Importer;
- (p) **“packing list”** means the itemised list of articles of food giving the description, quantity and weight of each imported articles of food;
- (q) **“pre-arrival document scrutiny”** refers to the scrutiny of documents submitted by the Food Importer to the Authorised Officer in advance, before the actual arrival of the articles of food to facilitate faster clearance of articles of food imported at the customs port;
- (r) **“prohibited food”** means that articles of food as declared by the Food Authority from time to time and published on the website of the Food Authority;

- (s) **“prohibited sources”** means the particular locations for which conditional or absolute restrictions are specified by the Food Authority on its website for import of articles of food;
- (t) **“review application fee”** means the fee levied by the Food Authority towards disposal of review application submitted by the Food Importer against the order of Authorised Officer pertaining to clearance of Import of articles of food;
- (u) **“Review Officer”** means the Chief Executive Officer or an officer authorised by the Chief Executive Officer of the Food Authority for review of the orders of the Authorised Officer;
- (v) **“risk based random sampling”** means the activity of drawing samples randomly based on the risk criteria identified and the compliance history of the importer;
- (w) **“shelf life”** means the period between the date of manufacture and the “Best Before” or “Date of expiry” whichever is earlier as printed on the label;
- (x) **“Single Window Interface for Facilitating Trade”** means the provision of single window system provided by the Customs to the importer and Custom House Agent to apply for import clearance;
- (y) **“stuffing list”** means a list of food items and its actual physical arrangement inside the container or cartons or pallets or skids;
- (z) **“Transit Country List”** means the list of countries through which the imported articles of food transits before it reaches the Indian territory;
- (aa) **“unclaimed food”** means an imported articles of food consignment not having a claimant or bill of entry or both;
- (ab) **“un-cleared food”** means an imported articles of food consignment of which the delivery is not taken by the importer within the period specified in the no objection certificate issued by the Food Authority;
- (ac) **“visual inspection”** means the process of inspection by the authorised officer or an officer deputed by him for the purpose by which the physical condition of the food consignment, scrutiny of documents and compliance of packaging and labelling regulations are ascertained for the Food Safety compliance prior to drawing of samples.
- (2) The words and expressions herein but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act, and the rules and regulations framed thereunder and the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

Chapter – II

Licensing of Food Importers and Food Business Operators

3. (1) No person shall import any article of food without an import license from the Central Licensing Authority in accordance with provisions of the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011.
- (2) No article of food shall be cleared from the custom unless it has sixty per cent shelf life at the time of its clearance from the customs.
- (3) For the purposes of sub – regulations (1) and (2), the Food Importer shall register himself with the Directorate General of Foreign Trade and possess valid Import-Export Code.
4. **Suspension or cancellation of license.-** (1) The Food Import license granted under regulation 3 may be cancelled or suspended for contravention of the provisions of these regulations or the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011.
- (2) Notwithstanding anything contained in regulation 3, the Licensing Authority may cancel the Food Import license granted under any other regulations made under the Act, if the

Designated Officer or Authorised Officer or any officer Authorised by the Food Safety and Standards Authority of India have reasons to believe that,-

- (a) there is sufficient ground to believe that the Food Importer has attempted to import unsafe articles of food, prohibited articles of food or articles of food from prohibited sources, directly or indirectly, including re-channeling or re-packing;
 - (b) the Food Importer fails to comply with the conditions of the license, these regulations, or the undertaking of intended end use.
- (3) The Food Importer shall inform the Central Licensing Authority and the Authorised Officer of any suspension, revocation or cancellation of the certificate of Importer-Exporter Code, granted in its favour by the Directorate General of Foreign Trade within twenty four hours and not later than three working days from the date of such order of suspension, revocation or cancellation.
 - (4) When the certificate of Importer – Exporter code granted by the Director General of Foreign Trade is suspended, revoked or cancelled, the import license granted under the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011 shall be deemed to have been cancelled.
 - (5) Any license that has been cancelled by the Licensing Authority under the Act, as a consequence of the suspension, revocation or cancellation of certificate of Importer-Exporter Code granted by the Directorate General of Foreign Trade may be reconsidered and granted afresh within seven days of an application made by the importer for a License if the suspension, revocation or cancellation of the importers certificate of Importer-Exporter Code granted by the Directorate General of Foreign Trade has been withdrawn or set aside or a fresh certificate of Importer-Exporter Code has been issued to the said Importer by the Directorate General of Foreign Trade.

Chapter – III

Clearance of Imported Food by the Food Authority

5. (1) Upon arrival of the food consignments at the airport, the importer or Custom House Agent shall file an Integrated Declaration Form in the Customs Single Window Integration for Facilitating Trade.
- (2) The Form forwarded from Single Window Integration for Facilitating Trade to the Food Import Clearance System shall be processed in the following manner, namely:—
 - (a) the Authorised Officer shall scrutinise the Form and may seek clarification if required;
 - (b) upon satisfactory scrutiny, the applicant shall pay the fees as specified by the Food Authority for scrutiny of documents, visual inspection and drawing of sample;
 - (c) where a single bill of entry is made up of articles of food consignment consisting of multiple categories of articles of food, inspection fee shall be paid for each category of articles of food;
 - (d) the Food Authority shall specify and review the inspection fee from time to time;
 - (e) on receipt of the fees, the Authorised Officer shall intimate the details of date and time of inspection to the Food Importer to facilitate the presence of the Food Importer or his Custom House Agent at the time and place of inspection.
- (3) The applicant shall remain present at the customs area at the appointed time to participate and facilitate visual inspection, assist in drawing of samples, if required, assist in the import clearance proceedings as instructed by the Authorised Officer or his representative and witness proceeding, sealing of samples by the Authorised Officer or his representative and affix his counter signatures on the sealed samples.
- (4) The Food Importer shall facilitate the visual inspection and collection of sample from the consignment as per the stuffing list.

- (5) The Authorised Officer shall direct the customs authorities to issue an order for de-stuffing the container and Custom House Agent or Food Importer shall also assist in de- stuffing the container if required.
- (6) If the Food Importer or his Custom House Agent is not present to facilitate the inspection and sampling in spite of two opportunities having been granted, the Authorised Officer may refuse to grant further opportunity for inspection and sampling of the food consignment:
Provided that any further opportunity in this behalf may be granted by the Chief Executive Officer or his authorised representative after levy of suitable penalty on the Food Importer as may be specified by the Authority from time to time.
- (8) The report of the visual inspection shall be submitted in **FORM – 1**.

6. Compliance with standards for packaging and labeling.- (1) No Food Importer shall import articles of food that is not transported, or stored in optimal storage conditions of temperature and hygiene, packaged and labeled as per the regulations applicable to that particular article of food at that time.

- (2) Every consignment of food sought to be imported into India shall be packed in containers in such a manner that it would facilitate the inspection and collection of samples from the consignment.
- (3) Any consignment of multiple foods or food falling under different categories packed in a single container or carton or pallet or skid, shall be packed in such a manner that the Authorised Officer has easy access to all of them for inspection and sampling.
- (4) In the absence of a proper stuffing list, the Authorised Officer shall direct the customs officer to issue an order for de-stuffing the container and facilitate the de-stuffing, in order to facilitate inspection and sampling.
- (5) In case of imported food consignments, the following special dispensation on labeling shall be complied with, namely:—
 - (a) name and address of the importer;
 - (b) Food Safety and Standards Authority of India Logo and license number, Non-Veg or Veg Logo affixed by the Importer and Custom House Agent as rectifiable labeling deficiencies upon arrival of imported food consignments in the custom bonded warehouse;
 - (c) rectifiable deficiency by affixing a single non detachable sticker or by any other non-detachable method next to the principle display panel.
- (6) In respect of the rectifiable labelling deficiencies referred to in sub – regulation (5), the Authorised Officer may pass an order directing the Food Importer or his authorised agent to carry out the permissible labelling rectifications, within a specified time in the customs area without altering or masking the original label information in any manner.
- (7) On rectification by the Food Importer, the Authorised Officer shall carry out a re-inspection of the articles of food and if satisfied, draw the sample, subject to all other conditions being fulfilled by the Food Importer.
- (8) In case the Food Importer fails to rectify the permissible defects referred to in sub – regulation (5), within the specified time, the Authorised Officer may pass an order refusing clearance of such imported articles of food and issue a non conformance report.
- (9) If the Authorised Officer is satisfied that the Food Importer has complied with the provisions of this regulation, the Authorised Officer or his representatives shall draw two parts of food sample from the imported articles of food in the customs area in the presence of Food Importer or his Custom House Agent for testing the samples.
- (10) If the food analyst seeks additional information on ingredients or on any other parameters after receipt of the food sample, the Authorised Officer shall direct the Food Importer to provide such information duly supported by documentary evidence.

- (11) The consignment not complying with the provisions of Labeling and Packaging Regulation, 2011 shall be rejected at the visual inspection and no samples shall be drawn from the consignment

Chapter – IV

Food Import Clearance for Specific Purposes

7. (1) Nothing contained in these regulations shall apply to any person bringing in any article of food for his personal use provided that the value of such article of food shall not exceed the amount as allowed by custom from time to time.
- (2) The person carrying the imported articles of food for personal consumption shall submit the declaration in the Single Window Integration for Facilitating Trade.
- (3) Unless otherwise specified, the customs authority may not be required to refer the imported articles of food to Food Authority for clearance if such articles of food is meant for –
- (a) export as per the extant Government instructions and export rejected or re-imported articles of food meant for re-export;
 - (b) the articles of food or ingredients or additives which are being imported by the manufacturers or processors for their captive use or production of value added products for hundred per cent exports; or the consignments of articles of food or ingredients or additives imported by the firms or companies for use of their sister concerns or wholly owned subsidiary companies, to be used for hundred per cent export production subject to a defined relationship agreement between the two entities in this behalf;
- Explanation.** – For the purposes of clause (b) of sub – regulation 3, the importer shall declare in the Single Window Integration for Facilitating Trade regarding the captive or end use of the imported product to the Customs Department at the time of filing the bill of entry, declaring that the imported articles of food is meant to be used by the importer for hundred per cent export or re-import of articles of food for export again as the case may be, and that no part thereof shall be supplied for domestic consumption.
- (c) The facility under clause (b) of sub – regulation 3 of shall not be applicable in the case of trading entities, which do not import such items for their captive use in view of the problems associated with traceability of the end-use of such items.
- (4) The clearance of Food Imports shall be dealt in accordance with the provisions of Vienna Convention on Consular Relations, 1963 (Article 50 of the Vienna Convention on Consular Relations, 1963).
- (5) The clearance of food import for the purposes of research and development may be allowed subject to –
- (a) the import being undertaken by a licensed Food Importer;
 - (b) declaration by the Food Importer and the Food Importing Agency in the Single Window Integration for Facilitating Trade to the effect that the imported articles of food shall be utilised for aforesaid purpose only;
 - (c) not released into the domestic market or used for test marketing or market research purposes.
- (6) There shall be following procedure for clearance of food imported for exhibition purposes, namely:—
- (a) the exhibitor shall comply with the requirements, if any, specified by the custom and the exhibitor shall declare in the Single Window Integration for Facilitating Trade;
 - (b) in case the articles of food are proposed to be used for tasting purposes, the importing exhibitor or entity shall also submit a copy of the food safety certificate issued by the Food Regulatory Authority of the country of origin;

- (c) food products, included in the list of prohibited items for import, of the Directorate General of Foreign Trade or specified by the Authority from time to time, shall not be allowed to be imported for exhibition or tasting purposes;
- (d) all products for exhibition shall bear an additional non-detachable label or sticker stating: “For Exhibition purpose only” and “Not for sale”;
- (e) the importing entity may be permitted to affix additional label in the custom-bonded warehouse, if not already affixed;
- (f) The importing exhibitor shall maintain the bills of material—
 - (i) of the items imported for exhibition;
 - (ii) the items consumed for tasting purposes or destroyed;
 - (iii) the items for re-export to the country of origin at the end of the exhibition, fair or event and shall be liable to submit such details on demand by the Authorised Officer;
- (7) A placard shall be prominently displayed at the place of exhibition of such food items stating ‘For Tasting Only’.
- (8) The unconsumed portion of the articles of food, which have been opened for tasting, shall be destroyed after the exhibition by the Food Importer as per the procedure.
- (9) The unopened and unconsumed articles of food shall be re-exported in securely packed condition under intimation to the Authorised Officer by the Food Importer.
- (10) The Food Authority may allow the clearance of food imports from a foreign country, exclusively meant for consumption by the sportspersons of such exporting country.
- (11) The quantity of imported articles of food in such cases shall not exceed the bona fide requirements for captive use or consumption by the persons concerned of such exporting country for the duration of their stay or event, whichever is earlier and the balance unconsumed articles of food shall be re-exported to its country of origin by the Authorised member of the delegation under intimation to the Authorised Officer.
- (12) The importer shall submit the declaration in the Single Window Integration for facilitating trade for clearance of imported food consignment.
- (13) In case of contravention of any of the conditions stated in these regulations, the Food Importer or any person or entity concerned shall be debarred from any concessions or facilities set out, in future, in addition to the consequences in accordance with the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder.
- (14) Where any article of food is received gratis from other countries in case of any disaster or emergency situations in any part of the country, the quality or safety of imported articles of food shall be ensured through safety certificates issued by the competent authority of the donor country or agency through inspection.

Chapter – V

Storage, Inspection and Sampling of Imported Food

- 8. Storage facilities for Food Imports** – (1) No consignment of articles of food articles shall be stored in a manner that articles of one consignment come in contact with other articles of food.
- (2) The imported articles of food shall be stored in accordance with the specified storage conditions in the custom warehouse before clearance, failing which, the concerned Authorised Officer may refuse to grant no objection certificate for import clearance of the food consignment.

- 9. Storage facilities for Food Imports** – (1) The port authorities and Custodian of freight stations shall ensure adequate and conducive storage infrastructure meeting the safe storage of various types of imported food consignments in the customs area till the imported articles of food is cleared by the custom authority.
- (2) In case of imported food items which require special storage condition, the Authorised Officer shall verify the true storage conditions required for the consignment.
 - (3) The Authorised Officer shall confirm from the air cargo operator or Custodian of freight stations regarding the availability of desired special storage facilities at the custom bonded area at the port or airport.
 - (4) In case of non – availability of storage facility, the Authorised Officer shall –
 - (a) confirm from the department of custom their no objection to treat importers warehouse as custom bonded area,
 - (b) direct the applicant to declare the same in the Single Window Integration for Facilitating Trade, and upon acceptance, the Authorised Officer shall allow the issue of provisional clearance certificates to the importer to move the food consignment to a well-equipped storage facility.
 - (5) In case of non-compliance of any of the conditions, the importer shall not be eligible to avail any facility in future and also liable for other appropriate actions as per the prevailing law, rules and regulations.
 - (6) The Authorised Officer may issue a no objection certificate subsequent to the analysis report conforming to standards.
 - (7) The importer or customs shall ensure sale only after clearance based on no objection certificate.
 - (8) The Food Authority may review the risks associated with articles of food imports from time to time and, accordingly, specify the sampling frequency to be conducted for the import of different categories of food products keeping in view the safety record of the exporting country, exporter, importer, risk attached to the imported product and other matters.
 - (9) The Authorised Officer or his representative shall comply with the Labelling and Packaging Regulation, 2011 and with a valid balance shelf life in the following manner, namely:—
 - (a) shall draw two parts of food sample of each description or measures (except for aseptic sealed packages);
 - (b) shall forward to the food analyst such quantity of sample as specified under the Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Regulations, 2011;
 - (c) seal the samples;
 - (10)
 - (a) In cases where the imported articles of food are packed in sealed bulk containers by the manufacturer in order to maintain aseptic or hygroscopic conditions that are required to retain the character of the article of food, the manufacturer shall provide two representative sealed samples from the same batch along with a declaration by the manufacturer stating that the articles of food in the sealed container match with the representative samples placed in the sample containers.
 - (b) In all cases wherever the representative sealed samples referred to in clause (a) with the manufacturers undertaking is not provided by the Food Importer, the Authorised Officer is empowered to break open the seal and collect a sample for lab analysis.
 - (c) The Authorised Officer may exercise his discretion to collect a representative sample from the sealed container, wherever the sealed representative samples provided appears to be doubtful.
 - (11) In respect of imported articles of food having shelf-life less than seven days, the applicant shall declare the same in the Single Window Integration for Facilitating Trade allowing the

- Authorised Officer to draw sample and issue provisional no objection certificate to the customs, without waiting for the analysis report from laboratory.
- (12) On receipt of the report analysis from the laboratory, the Authorised Officer shall communicate to the customs along with no objection certificate if products conform to the standard.
 - (13) In case of non – conformance of the sample, the Authorised Officer shall immediately inform the Importer or Custom Brokers, to recall that consignment and submit a compliance report within twenty four hours to the Authorised Officer and the Food Authority shall alert all import points to maintain vigil on imports of products manufactured by the same company or similar products imported by the same importer or Custom Brokers.
 - (14) The sealed sample of imported articles of food shall bear the following information on the Label, namely:-
 - (a) code number of the sample;
 - (b) date and place of collection;
 - (c) quantity of sample;
 - (d) name of articles of food;
 - (e) name and quantity of preservative added while drawing the sample, if any;
 - (f) name and signature of the Food Importer or his Custom House Agent and;
 - (g) name and signature of the sender with official seal.
 - (15) The Authorised Officer shall forward one part of the sealed and labelled articles of food to the Food Analyst who shall cause it to be analysed by a notified laboratory for imports under regulation 2.1 of the Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis), 2011.
 - (16) The remaining parts of the food sample after forwarding one part of the sealed and labeled articles of food referred to in sub – regulation 15, shall be stored in appropriate conditions by the Authorised Officer or his authorised representative.
 - (17) On the sample being found to be safe, the remaining sample shall be returned to the food importer.
 - (18) If the sample found to be unsafe, on any appeal received from Food Importer, the second sample may be forwarded to the Referral Laboratory for analysis.
 - (19) The rejected export consignments by foreign countries that have been returned to India as the country of origin shall be subject to these regulations except that the packaging and labelling requirements shall be in accordance with the country of export.
 - (20) The importer shall submit rejection documents of the country of export.
 - (21) The samples of imported articles of food forwarded by the Authorised Officer to the Food Analyst who shall analyse or cause an article of food to be analysed by a notified laboratory as per the parameters specified in the Act and the regulations made thereunder and shall forward his report within five days to the Authorised Officer whether the product is conforming or non-conforming.
 - (22) If the sample cannot be tested by the laboratory within the specified time it shall state the reasons for the same in writing to the Food Analyst.
 - (23) The report of analysis shall be signed by the Food Analyst.

Chapter – VI

Laboratory – Analysis of Samples of Imported Articles of Food

- 10. Food Analysis.-** (1) The sample of imported articles of food forwarded by the Authorised Officer shall be caused to be analysed by the laboratories notified by the Food Authority.

- (2) The fees payable for analysis of imported articles of food by referral or notified laboratory shall be as specified by the Food Authority from time to time.
- (3) The Authorised Officer shall forward the first part of the sample of imported article of food for laboratory analysis to a Food Analyst of a laboratory notified by the Food Authority under sub-section (1) of section 43 of the Act and Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Regulations, 2011.
- (4) The notified or referral laboratory shall follow the following procedure for food analysis, namely:-
 - (a) on receipt of the sample of food from the Authorised Officer, the notified or referral laboratory shall immediately conduct a preliminary inspection of the sample to ascertain whether all the information required for testing is available or on the sufficiency of the sample quantity, and if there are any deficiencies, the laboratory shall immediately inform the Authorised Officer of the deficiency;
 - (b) the notified or referral laboratory shall comply with the test methods specified by the Food Authority with regard to the tests to be performed and the equipment to be used, for testing samples of different categories of articles of food:

Provided that in cases where the test method has not been specified by the Food Authority, the notified or referral laboratory shall comply with the specifications for testing that have been specified by the Codex Alimentarius Commission or the International Organisation for Standardization or Director General Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India;
 - (c) the notified or referral laboratory shall bring to the notice of the Food Authority any new tests or methods of testing that it may seek to conduct on samples of any specific article of food, or any new equipment that it may seek to use but shall not commence using the tests or methods of testing or equipment unless so permitted by the Food Authority.
- (5) The notified laboratory or referral laboratory, as the case may be, shall provide the laboratory analysis report duly signed by its Food Analyst in **FORM - 2** within five days from the date of receipt of the sample.
- (6) An importer shall file an appeal against the result of notified laboratory within fifteen days of issuance of the Non Conformance Certificate by the Authorised Officer.
- (7) Upon appeal by the Food Importer, the Authorised Officer shall forward the second sample of imported articles of food for laboratory analysis to the specified referral laboratory notified by the Food Authority under sub-section (2) of section 43 of the Act and the Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Regulations, 2011.
- (8) Whenever laboratory analysis of a food sample reveals presence of contaminants and presence of microbiological organisms which may pose a serious hazard to the safety and health of the consumer, the Food Analyst shall inform the same to the Authorised Officer for initiating suitable action.
- (9) In case the Authorised Officer has sufficient reason to believe that the imported articles of food consignment poses a serious hazard to the safety and health of the consumer, he shall suo *motu* refer the second sample to the referral laboratory for retesting to seek the confirmation of the findings of the notified laboratory.
- (10) The retesting referred to in sub – regulation (10) of regulation 10 shall be immediately brought to the notice of the Food Authority by the Authorised Officer.
- (11) The samples, if found to be hazardous shall be destroyed by a specified procedure following biohazard guidelines, and all the imported articles of food to which the samples related, shall be destroyed or re-exported to the country of manufacture or origin by the Food Importer within seven days of being directed to do so by the Food Authority, failing which, the Food Importer and his Custom House Agent shall be jointly and severally liable to a penalty of ten times the

value of the imported articles of food and the Food Importers license shall be deemed to have been cancelled.

Chapter – VII

Scheme for Risk based Food Import Clearance

- 11. Risk Based Framework.**—(1) The Food Authority, may adopt a risk-based framework and risk based inspection process for clearance of imported articles of food.
- (2) For the purposes of sub – regulation (1), the Food Safety and Standards Authority of India shall profile the Importer, Custom House Agents, imported product, manufacturer of the imported product, country of origin, source country of the consignment, port of entry, compliance history and any other parameters deemed fit for profiling the risk associated with the commodity.
 - (3) The Authority may introduce Pre- Arrival Document Review for regulating the imports.
 - (4) The Food Authority in consultation with the concerned Ministry as it deems fit may enter into Memorandum of Agreement with relevant agencies in exporting countries on reciprocal basis to facilitate ease of doing business and accelerated clearance of food imports from the countries referred to in sub – regulation (2).
 - (5) The Food Authority may identify laboratories in exporting countries for prior testing of food samples before the articles of food are imported into India.
 - (6) The Food Authority may from time to time issue food alert notifications, including time bound prohibited articles of food or prohibited source or recalls, based on the risk associated with the articles of food.
 - (7) All importers shall submit a recall plan describing the detail of contingency plan of ensuring the traceability of the products in case of any eventuality of risk associated with the food consignments, and if he fails to do so, it may result in cancellation or suspension of his licence.
 - (8) The food alert notifications shall immediately be informed to the Risk Management System of the customs department.
 - (9) The alert notification shall remain in force until the Food Authority is satisfied that the risk is no longer prevailing or that control measures are in place to prevent the continuation of the risk and confirmed by test reports.
 - (10) During the pendency of alert notification, the Food Authority may order for additional tests at the point of entry, mandatory certification from the exporting countries or channelisation till such time as the Food Authority may deem fit.
 - (11) The Government agencies shall conduct post clearance surveillance of all food imports including —
 - (a) random checks on the imported food items,
 - (b) providing relevant documents to support the declarations and information provided by the importer or Custom House Agent in the Customs Single Window Integration for Facilitating Trade.

Chapter – VIII

Prohibition and Restrictions on Food Imports

- 12. Power of the Food Authority to issue orders for prohibition and restriction on import of food.**—(1) The Food Authority may prohibit or restrict import of any article of food based on risk perception or outbreak of disease and issue orders as it deems fit in this regard.
- (2) The Food Authority may issue order or advisory or guideline as it deems fit from time to time for ensuring the safety and wholesomeness of articles of food imported into India and such prohibitions and restrictions shall be informed to the customs immediately.

- (3) Every Food Importer to whom any order or direction is issued in pursuance of any provisions of these regulations shall comply with such order or direction and if the Food Importer fails to comply with such direction or order, the Food Authority may cancel the import license issued to the Food Importer.
- (4) The customs authorities, port authorities or any other agency involved in the clearance, rejection, auction or destruction of imported articles of food in the customs area shall provide all such statistics to the Food Authority on a quarterly basis.

Chapter – IX

Officers of the Food Authority

13. (1) The Food Safety and Standards Authority of India shall notify the officers for the purpose of food import clearance to ensure compliance of the provisions of the Act, and it may also notify officers from other government agencies to maintain the standard operating procedure for food import clearance.
- (2) The Authorised Officer shall have the following powers and duties, namely:-
 - (a) to receive applications for food import clearance;
 - (b) to make such inquiry and inspection as may be necessary to verify that the import of articles of food is not in contravention of any provision of the Act, rules and regulations made thereunder;
 - (c) to refuse inspection and intimate the customs, if the articles of import are misclassified as food based on end use declaration;
 - (d) to ensure compliance of all the conditions set out in sub – regulation (13) of regulation 7;
 - (e) to take photographs of imported food consignment for review and documentation;
 - (f) to draw samples for testing of the imported food, if all the conditions specified in regulation 6 are complied with;
 - (g) to collect additional sample of imported articles of food on payment of invoice value of the articles of food;
 - (h) to re-seal any package opened for drawing of samples and certify that the same had been opened and sealed;
 - (i) to forward the samples to a food analyst of a notified laboratory in proper manner for analysis and receive the report of the laboratory analysis;
 - (j) to order additional tests on the food sample of imported food based on visual inspection, risk potential and instructions issued from time to time by the Food Authority;
 - (k) to inform the Food Authority of any new variety of food or food ingredients, previously unknown hazards, or any other technical difficulties;
 - (l) to maintain record of food imports, inspection, sampling and related activities, action taken, review process within the jurisdiction of customs ports assigned to him and any other such duties assigned by the Food Authority from time to time in writing and by photographs and audio - videography;
 - (m) to report to the concerned Licensing Authority on any violation of any conditions of licensing by the Food Importer;
 - (n) to recommend destruction or re-export of imported articles of food with necessary conditions as he may deem fit and ensure compliance of the same;
 - (o) to inform the laboratory immediately on receipt of advance notice of arrival from the importer under the Pre-Arrival Document Review of the articles of food;

- (p) to ensure that the laboratories authorised by the Food Authority complies with all the specified procedures and perform all parameters of testing as specified in the regulations or permissions accorded by the Food Authority;
- (q) to ensure that the laboratories authorised by the Food Authority shall maintain records of laboratory analysis of the imported articles of food in the format as specified by the Food Authority;
- (r) to present all the related facts and documents before the Review Officer during the review process;
- (s) to seek data or information on imported articles of food consignment from the customs authorities;
- (t) to store the remaining parts of the food sample in appropriate conditions for re-analysis at referral food laboratory on the basis of appeal request received from the Food Importer or return to the Food Importer or Food Business Operator with acknowledgement, after issue of no objection certificate;
- (u) to issue no objection certificate or non-conforming certificate, as the case may be to the customs authorities and Food Importer;
- (v) to carry out any other duties as assigned by the Food Authority from time to time.

Chapter – X

Orders by the Authorised Officer

- 14. No Objection Certificate.**—(1) The Authorised Officer shall issue a ‘no objection certificate’ in **FORM – 3**, after assessing the safety of food being imported based on these regulations under his seal and signature for allowing import of food, and shall communicate such order in a specified manner to the customs and the Food Importer.
- (2) The no objection certificate permitting the import of food shall state the period of validity within which the articles of food have to be taken out by the Food Importer from the customs area and the period of validity of no objection certificate for various types of articles of food shall be reviewed by the Food Authority from time to time.
 - (3) The Food Importer shall take effective steps to get the articles of food released from the customs area within the period of validity stated in the no objection certificate issued by the Authorised Officer failing which they shall be deemed to be Un- cleared articles of food.
 - (4) A copy of the *report of the* laboratory analysis shall be forwarded to the Customs and the Food Importer, wherever the no objection certificate is issued based on the *report of the* laboratory.
 - (5) The Authorised Officer shall issue a non conformance report in **FORM – 4** specifying the grounds mentioned in these regulations for refusal, wherever the clearance of the imported food is refused, under his seal and signature, and shall communicate such order in a specified manner to the customs, Food Authority and the Food Importer.
 - (6) A copy of the *report of the* laboratory analysis shall be forwarded to the customs, Food Authority and Food Importer, wherever the report is issued based on a non-conformance laboratory Analysis Report.
 - (7) Based on the findings and recommendations in non- conformance *report of the* laboratory analysis and subsequent confirmation from the referral laboratory, if contamination or presence of microbiological organisms is likely to pose a significant risk to public health, the Authorised Officer, with the prior approval the Food Authority shall pass necessary orders for mandatory destruction of articles of food in **FORM- 5**.
 - (8) The customs shall provide a report to the Authorised Officer informing all the pertinent details of the destruction and the same shall be provided every quarter of the financial year.

Chapter – XI**Review Process**

- 15. Reviewable orders.** – (1) Any Food Importer aggrieved by one or more of the following orders of the Authorised Officer may file a review application to the Review Officer or Committee constituted in this behalf against such order—
- (a) rejecting the clearance of the imported articles of food on the non-compliance with any of the conditions specified in sub – regulation (13) of regulation 7;
 - (b) any order directing the Food Importer to rectify the labeling of the articles of food; and
 - (c) report of rejection issued on receipt of a non-conformance report from Food Analyst.
- (2) (a) The review application shall be in **FORM-6** and shall be accompanied by such fee as may be specified by the Food Authority from time to time;
- (b) The review application shall be presented to the Review Officer along with the required documents within seven working days from the date of communication of the report of rejection to the Food Importer;
 - (c) The Review Officer may admit a review application after the expiry of the said period for an extended period of seven working days, if he is satisfied that the Food Importer had sufficient cause for not presenting it within that period.
- (3) (a) The Review Officer shall consider the facts and dispose of the review application in accordance with the provisions of the Act, the rules and regulations made thereunder and advisories or notifications issued by the Food Authority from time to time;
- (b) On receipt of the completed application for review along with all documents, the Review Officer, if he deems fit may, fix the date, time and venue of hearing the representation of the Food Importer;
 - (c) The Food Importer, either in person or by a representative, and the Authorised Officer, either in person or through an authorised representative, shall have the right to be heard at the hearing of the review application;
 - (d) If either the Food Importer or the Authorised Officer fails to appear themselves at the hearing of the review application, the Review officer shall have the power to proceed to decide the review on merits;
 - (e) The Review Officer shall dispose of all review applications within a period of seven days, after filing of the review application by the Food importer and the reply of the Authorised Officer thereof:
Provided that the Review Officer may allow further evidence or material, if he deems necessary and also forward a part of the sample for analysis to the referral laboratory;
 - (f) The Review Officer may, before disposing off any review application, make such further enquiry as he may think fit or direct the Authorised Officer to make such further enquiry and report the result of the same;
 - (g) The Review Officer may, at the time of hearing of the review application, go into any ground not specified in the grounds for review, if the Review Officer is satisfied that the omission of that ground was not willful or unreasonable;
 - (h) The order of the Review Officer disposing off the review application shall be in writing and shall state the points for determination, the decision thereon and the reasons for such decision; and
 - (i) On the disposal of the review application, the Review Officer shall communicate the order passed in the review application to the Food Importer, customs and the Authorised Officer.

Chapter – XII**DISPOSAL OF REJECTED FOOD CONSIGNMENTS AND FOOD SAMPLES**

16. **Rejection of imported food consignments.**—(1) (a) On receipt of the non-conformance report, the Custodian or importer shall dispose of the imported Food consignment in accordance with the provisions of the Customs Act, 1962 (52 of 1962):

Provided that the actual disposal shall be undertaken only after the period of limitation is over provided under these regulations for filing of review application by the Food Importer against the order of the Authorised Officer:

Provided further that in cases of storage of articles of food, the cost and expenses incurred in the storage of the articles of food, in such cases, shall be borne by the Food Importer;

- (b) The Authorised Officer shall return the remaining sample to the Food Importer or his Custom House Agent with acknowledgement within a period of ten days from the date of issue of no objection certificate keeping one part of the sample till expiry;
- (c) If the Food Importer fails to collect the remaining parts of the sample, by the Food Business Operator or Food Importer or his Custom House Agent the Authorised Officer shall dispose of the sample in the manner specified by the Food Authority;
- (d) On receipt of non-conformance report, the remaining parts of the sample shall not be released to the Food Importer or his Custom House Agent and the same shall be retained in the safe custody of the Authorised Officer for a period of thirty days:

Provided that if any review application or any legal processing is filed by the Food Importer or Food Business Operator against the non-conformance report and the same is pending, then the second part of the sample shall remain with the Authorised Officer until the review application or any legal proceeding is disposed of;

- (e) In case no review is filed and the sample may pose risk to the public health the sample shall be disposed of as provided in sub – regulation (7) of regulation 14; and
- (f) If no review application is filed by the Food Importer within the specified period under these regulations, from the date of issue of the non-conformance report or if the review is disallowed, the Authorised Officer shall dispose of the remaining part of the sample in the manner specified by the Food Authority.

Chapter – XIII**Treatment of Uncleared and Unclaimed Food**

17. **Uncleared Food.**—(1) (a) If the Food Importer fails to take out the food import consignment from the custom area within the period of validity specified in the no objection certificate issued by the Authorised Officer, the food import consignment shall be deemed to be uncleared articles of food.
- (b) The Authorised Officer shall follow the procedure of inspection, sampling, testing and clearance laid down under these regulations, for disposal of all cases of uncleared articles of food.
- (2) The Authorised Officer shall, on receipt of request made by the Custodian and after ensuring that the requisite fees has been paid, issue either a no objection certificate or non conformance report after assessing the safety of Unclaimed food consignment based on due inspection and laboratory analysis.

FORM – 1

[See sub - regulation (8) of regulation 5]

Visual Inspection Format

The seal on the container was inspected, it reads as ----- and the same was found to be intact.

The seal was broken by the Authorised Officer or his representatives in presence of the following:

- 1.
- 2.
- 3.

BREAK OPEN SEAL FORMAT

	Food Safety and Standards Authority of India	
Port Of Entry: _____		
<p>This Package is opened and a sample taken by the Authorised Officer of FSSAI, to have the same analyzed by a notified laboratory.</p> <p style="text-align: center;">Authorised Officer Seal</p>	Location: _____ Sample ID: _____ Signature: _____ Name Of Officer: _____ Date: _____ Time: _____	This Package has been re-sealed in my presence Initials of Customs House Agent

(Please tick the applicable)

Nothing was stored in the container.

The following were found stored, in the container:

- 1.
- 2.
- 3.

The food articles were stored in a clean and hygienic condition and were free of:

1. Living/dead/fragments of insect
2. Rodent contamination
3. Moulds
4. Unwanted odour taint or mustiness
5. Any other substance, which can influence the safety of the food.

The packaging material was inspected and the following was observed;

The package prima facie appeared to be compliant to the packaging and labeling requirements as per the (Packaging and Labeling) Regulations, 2011

The package of the food consignment was inspected and the following was observed:

1. Size
2. Material used
3. Securely packed and sealed
4. Free from major dents, rust, perforation, seam distortion, leaks etc.

Brief description of the package:

Photograph of the Label

Observation. –The Food consignment is in compliance with the provisions of Food Safety and Standards (Packaging and Labeling) Regulations, 2011. Food article was found to be fit/not found fit for drawing sample and therefore the sample was drawn/not drawn.

SD/

Authorised Officer

The process has been carried out in the presence of all the signatories who have signed the present memo in token of their acknowledgement of the correctness of the proceeding.

- 1.
- 2.

FORM – 2

[See sub-regulation (6) of regulation 10]

LABORATORY ANALYSIS REPORT**Name of Laboratory Address**

Test Certificate No : □□□□□□□□

Date : □□□□□□□□

Laboratory Analysis Report

1. Sample Identification : *Sample No:*
2. Ref No :
3. Sample received from :
4. Sample Particulars : *Brief description of sample material*
5. Volume / Weight :
6. Sample received Date and Time : Time: □□□□ on □□□□□□
7. Lot / Batch No :
8. Date of Manufacture : □□□□□□ (*mmyyyy*)
9. Fee Received : Yes
10. Lab Code No : *code assigned by laboratory for its records*

A. Physical Examination

11. Type of Packaging :
12. Condition of Package : ___
13. Physical Appearance of sample : ___
14. Labelling – Details sufficient : Yes No
15. If condition of packaging or sample or details provided in the label is not acceptable, provide reason:

B. Laboratory Analysis

16. Analysis date of starting: _____ Analysis date of completion: _____

Test results

S No:	Quality characteristics	Specified value	Name of the method	Test results (value)

C. Conclusion:

The sample conforms to the specification laid down in the Act and the rules and regulations made thereunder.

The sample does not conform to the specification laid down in the Act and the rules and regulations made thereunder.

Requires mandatory destruction: Yes No

If yes, provide comments:

1. _____

2. _____

Place

Signature

Date

Name and Seal and Designation

FORM – 3

[See sub-regulation (1) of regulation 14]

No Objection Certificate

No objection certificate No:

Date:

Port of Entry/Location: Import General Manifest No. and date:

Bill of entry number and date:

To,

The Assistant/Deputy Commissioner of Customs

Sir,

Product as per the bill of entry	Sample ID	Exporting country

Remarks: Conforming

Balance shelf life of the product, on the date of issue of this no objection certificate:

This office has no objection if the above mentioned articles of food is released or cleared from this port before (Validity period of the no objection certificate), as the result of the inspection or analysis that the sample conform to the specifications provided under the Food Safety and Standards Act 2006, and the rules and regulations made thereunder.

This is for your information and necessary action please.

Date: _____ Name/Signature with Seal of the Authorised Officer
 Place:
 Copy to:
 Name of the Importer and Import Export Code:
 Address of Importer:
 Food Safety and Standards Act License Number of the Importer:
 Name of the Custom Brokers:

ENCL: Report/Certificate of Laboratory.

FORM – 4

[See sub-regulation (5) of regulation 14)]

Non-Conformance Report

Non conf No: _____ Date: _____
 Port of Entry/Location: Import General Manifest No. & date:
 Bill of entry number & date:
 To,
 The Assistant/Deputy Commissioner of Customs
 Sir,

Product as per the bill of entry	Sample ID	Exporting country

The consignment is rejected on following grounds:

1.
2.
3.

This office is of the opinion that the consignment is not to be released/cleared from this port for the reasons mentioned above.

This is for your information and necessary action please.

Date: _____ Name/Signature with Seal of the Authorised Officer
 Place:
 Copy to:
 Name of the Importer and Import Export Code:
 Address of Importer:
 Food Safety and Standards Act License Number of the Importer:
 Name of the Custom Brokers:

ENCL: Report/ Certificate of Laboratory.

FORM - 5

[See sub-regulation (7) of regulation 14]

Mandatory Destruction Order**Food Safety and Standards Authority of India Authorised Officer****To,****Date:**

The Asst. Commissioner of Customs

Food Article imported by :**Importer License No:****Vessel Name:****Import General Manifest Number:****Dated:****BE:****Dated:****Index No:****Custom Brokers License No:****Custom Brokers Name**

Sir,

1. The above mentioned food consignment imported by _____

_____ was inspected on _____

by the Authorised Officials of

Food Safety and Standards Authority of India and samples have been analysed by the Notified laboratory.

2. This office requests you to reject the clearance of import of this article of food and not to release it from this port as the result of the inspection and analysis of the sample of the articles of food does not conform to the specifications specified under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) and Rules and Regulations made thereunder.
3. Based on the findings and recommendation in Non-Conformance Laboratory Analysis Report and subsequent confirmation from the Referral Laboratory, the contamination and presence of microbiological organisms in the food sample is likely to pose a significant risk to public health. The lab analysis reports are enclosed.
4. This office requests you to reject the clearance of import of this consignment and not to release it from this port and recommends for mandatory destruction of the articles of food of this consignment owing to the significant risks to the Public Health.

This is for your information and necessary action please

Yours Faithfully,

(Name and Seal of Authorised Officer)

 Copy of Lab Analysis Report attached

FORM - 6

[See clause (a) of sub – regulation (2) of regulation 15]

Review Application to the Review OfficerName and address of the petitioner:

Registration No. as Food Business Operator: _____

Importer's License No.: _____

Import Details

Date of Import: _____ Bill of Entry No: _____ Point of import: _____

Name of Article of Food under consideration: _____ Product Type: _____

Invoice Value of Articles of Food: _____ Perishable: _____

Yes/No _____

Balance Shelf life of the item: _____

End Usage: _____

Rejection Report Details

Date of Rejection Report sought to be reviewed: _____ Order passed by: _____

(Authority) (Place)Food Safety and Standards (Food Import) Regulation, 2012 under which the Rejection Report was passed:

Relief claimed in appeal: _____

Statement of Facts:

Grounds of Appeal

1.

2.

3.

Date:

.....

Place:

Signed
(Appellant)**Form of verification**

I,....., the petitioner herein/ the authorised representative of the petitioner herein, do hereby declare that what is stated in the accompanying Form I dated is true to the best of my knowledge, information and belief.

Place.....

Date.....

(Appellant)

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty..281(187)]